GOVERNMENT BILLS

The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2012

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, इस कानून पर कल से सदन में बहस हो रही है। वैसे तो हमारी पार्टी कठोर कानून के पक्ष में है, प्रभावी कानून के पक्ष में है। हमारी पार्टी का सदैव यह मानना है कि कानून ऐसा होना चाहिए, जो कठोर हो, प्रभावी हो, जिसका असर जनता में दिखाई दे। वैसे कानून तो बहुत बने हैं, लेकिन अगर किसी कानून का असर जनता में दिखाई नहीं देता, तो उस कानून से कोई अंतर नहीं पड़ता है।

श्रीमन्, इस कानून से भी तमाम शंकाएं पैदा हो रही हैं। इस कानून की नीयत भी साफ दिखाई नहीं दे रही है और ऐसा लगता है कि देश की माइनोरिटी के खिलाफ, जानबूझकर यह कानून अमेंड करके लाया जा रहा है। मुंबई ब्लास्ट के टाइम इस कानून को बनाया गया था और उस समय भी सदन में चर्चा हुई थी। सदन में इस बात को कहा गया था कि इस कानून के लागू होने के बाद हम हिंदुस्तान में आतंकवाद पर कहीं न कहीं रोक लगा लेंगे, लेकिन मुम्बई ब्लास्ट के बाद भी कितने ही सीरियल ब्लास्ट होते चले गए। इसका मतलब, इस कानून से कोई अंतर नहीं पड़ा। अब भी मुझे शंका है और मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों हम लोगों ने सदन में इस बात को उठाया था कि आज भी देश में मुसलमानों के लाखों बच्चे आतंकवाद के नाम पर झूठे तरीके से जेलों में बंद हैं। वे दस-दस, बारह-बारह साल से जेलों में बंद हैं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय न मिलने के कारण वे सामाजिक रूप से भी बहिष्कृत होते चले जा रहे हैं। हम लोग प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे, और हमने, पूरी समाजवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री जी से इस बात का अनुरोध किया था कि प्रधानमंत्री जी, किसी कानून से कोई ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि इस देश के कानून किसी एक जाति-विशेष के विरोध में बन रहे हैं।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज जो चुनाव के नतीजे आए हैं, नरेन्द्र मोदी जी फिर से जीत गए हैं, आपको होशियार हो जाना चाहिए, कहीं न कहीं समझ लेना चाहिए कि फिर से तीसरी बार गुजरात में नरेन्द्र मोदी जी जीत गए हैं और भारतीय जनता पार्टी शायद उनको सर्वोच्च पद का उम्मीदवार भी बनाए। कहीं ऐसे कानून उन लोगों के हाथ में चले गए, जो साम्प्रदायिकता में विश्वास रखते हैं, तो देश का क्या होगा? आप खुद इस पर चिंतित होइए और आपको सोचना चाहिए कि ...**(व्यवधान)**...

डा. नज़मा ए. हेपतुल्ला (मध्य प्रदेश): सर, इनको अगर अपनी बात रखनी है, तो बिल पर अपनी बात रखें, he cannot bring other issues in this. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't bring other issues. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवाल: हम कोई इश्यू इसमें नहीं जोड़ रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Speak on the subject. ...*(Interruptions)*... Speak on the subject. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवाल: मैंने इसमें कौन सी ऐसी बात कह दी है ...**(व्यवधान)**...

DR. NAJMA A. HEPTULLA: It is not part of the debate. ...*(Interruptions)*... Sir, he should not speak like this. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवाल: श्रीमन्, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप मेरी बात को ...**(व्यवधान)**... नज़मा जी, आप मेरी बात को दूसरे तरीके से मत लीजिए। मैंने सत्यता को कहा है और मैं ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, कल से यहां पर Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2012 पर चर्चा हो रही है और बहुत गंभीर चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि इसमें धर्म, जाति और राजनीतिकरण की बात करना, इस पूरे कानून और कानून की मंशा तथा नीयत पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। आपको अगर आशंका है कि इसका दुरुपयोग न हो, तो उसके लिए प्रावधान किए जा सकते हैं, लेकिन यह कहना कि अमुक व्यक्ति आ गया, तो उससे डर जाओ, अमुक व्यक्ति आ गया, तो आतंकवादियों को छोड़ दो, यह कहना गलत है।

श्री नरेश अग्रवाल: उपसभापति जी, मैं सही कह रहा था कि जिस कानून को भाजपा और कांग्रेस, दोनों मिलकर लाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nareshji, speak on the Bill. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवाल: इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों मिलकर इस देश में माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार करने के लिए इस काले कानून को ला रहे हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Speak on the Bill ...*(Interruptions)*... Speak on the Bill. ...*(Interruptions)*... Nareshji, you speak on the Bill. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवाल: उपसभापति जी, ये बीच में बोल रहे हैं ...**(व्यवधान)**... पहले आप हाउस को व्यवस्थित तो कराइए ...**(व्यवधान)**... हाउस व्यवस्थित होना चाहिए।

DR. NAJMA A. HEPTULLA: He should confine himself to the legislation ...*(Interruptions)*... Anything which he wants to speak should be within the parameters of the legislation which the Government has brought. If he wants to make a suggestion, he can make it. But he cannot make allegations. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवाल: ये हमें राय नहीं दे सकतीं। नज़मा जी हमसे सीनियर जरूर हैं, लेकिन ये हमें राय नहीं दे सकतीं ...**(व्यवधान)**... कोई सदस्य हमको राय दे, यह हमें स्वीकार नहीं है ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I told you, you cannot make blanket allegation. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवाल: मैं यहां किसी से राय लेने नहीं आया हूं। न मैं यहां किसी से राय लेने आया हूं, न किसी की राय सुनने आया हूं। मैं अपनी बात को ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I told you, you cannot make blanket allegation. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवाल: चलिए, मैं आगे बोलता हूं ...**(व्यवधान)**...

डा. नज़मा ए. हेपतुल्ला: आप रूल्स के हिसाब से ही बात करिए ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Concentrate on the subject and the Bill. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवाल: माननीय उपसभापति जी, मैंने पहले भी इस बात को उठाया कि अगर सरकार में कठोर इच्छा हो, तो वह इस पर काबू कर सकती है। आज पूरा विश्व जानता है कि आतंकवाद कहां से पनप रहा है। हमारा पड़ोसी राष्ट्र, जहां आज़ाद कश्मीर के नाम पर एक हिस्सा बना लिया गया, हम सभी जानते हैं कि आतंकवाद वहां से पनप रहा है, लेकिन भारत उस पाकिस्तान को आतंकवादी कहलाने के लिए जिस अमरीका के पीछे दौड़ रहा है, कल ही अमरीका की अदालत में ISI के लिए अमरीकी सरकार ने जो विचार व्यक्त किए, क्या वे बहुत अच्छे हैं? पाकिस्तान के मंत्री आए हिंदुस्तान में, एक आतंकवादी को शिंदे साहब ने "श्री" कह दिया, तो उस पर भी बड़ा criticism हुआ। अगर आपको आतंकवाद रोकना है, तो पड़ोसी मुल्क के साथ कठोर वार्ता करनी होगी। अगर आपने कठोर वार्ता न की, आप सिर्फ वार्ता करते रहे, तो आतंकवाद नहीं रुकने वाला, हम तो कहते हैं, हम इस बात के पक्षधर हैं। इसीलिए मैंने आशंका व्यक्त की कि सिर्फ हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज़ पर आप कठोरता करें और जहां से आतंकवाद पनप रहा है, नेपाल से fake currency आ रही है, लेकिन हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हमारे देश के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, वे धीरे-धीरे हमारे विरोध में खड़े होते जा रहे हैं। आखिर हमको इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या कारण है कि हमारी विदेश नीति फेल होती जा रही है और हम जो कानून बना रहे हैं, वे कानून असफल होते जा रहे हैं। आज देश की यह स्थिति है।

उपसभापति जी, मुझे याद है कि जब इमरजेंसी में "मीसा" बनाया गया था, तो कहा गया

था कि इससे देश में law and order ठीक हो जाएगा। सारे नेताओं को "मीसा" में बंद कर दिया गया था। उसके बाद "पोटा" बनाया गया, फिर "मकोका" भी बना, तमात ऐसे कानून बने। क्या कारण है कि बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया था, उसके तहत जो IPC बना, CrPC बना, Evidence Act बने, वे क्यों प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पाए? आखिर इस पर तो सोचें। अगर आप सोचते कि IPC, CrPC और Evidence Act हमारे देश के कानून को नहीं रोक सकते हैं, तो क्यों नहीं फिर एक बार सभी कानूनों की समीक्षा करके हम एक कठोर कानून बनाएं। रोज़ कानूनों में अमेंडमेंट करके आप जिस तरह पुलिस को अधिकार देते चले जा रहे हैं, श्रीमन्, वह इस देश के लिए बहुत उचित नहीं है। हम सबको इस बात की चिंता है, हम सब चाहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहे। हम चाहते हैं कि देश की कानून-व्यवस्था ठीक रहे, लेकिन देश में जो हो रहा है, देश की जो स्थिति बनती जा रही है, उसको रोकने के लिए यदि आप संगठित तरीके से एक कानून बनाकर लाएं, ठीक है, हम उस कानून के पक्ष में बोल सकते हैं, लेकिन आप संगठित करके कानून न बनाएं। आप धीरे-धीरे कानूनों में अमेंडमेंट करते जाएं, तो यह देश को बचाने के लिए अच्छा तरीका नहीं है।

माननीय मंत्री जी, मैं आपसे कहूंगा, वैसे तो गृह मंत्री जी यहां होते हो उनके सामने बहुत सी बातें रखी जातीं, लेकिन श्रीमन्, अगर सत्यता पर न उतरें, सत्यता की बात को हम न देखें, अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, हाई कोर्ट में हुआ। रोज़ाना धमकियां मिलती हैं, तो आखिर आप कब देश को सुरक्षित करेंगे कि देश के लोग समझें कि हमारे यहां एक सरकार है, जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है।

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक ज़माने में हमारी RAW, IB जैसी intelligence की संस्थाएं effective थीं। देश में कुछ भी होने वाला होता था तो उनसे सूचना मिल जाती थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि आपकी RAW, IB आदि intelligence की सभी संस्थाएं फेल हो चुकी हैं। उनसे कभी सूचना नहीं मिलती है। विदेशों में सूचना होती है कि हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट कब होगा, लेकिन हमारे देश में सूचना नहीं मिलती और सूचना के बाद हम red alert जारी करते हैं। हम आज तक नहीं जान पाए कि red alert क्या होता है? कोई green alert होगा, कोई red alert होगा, लेकिन red alert जारी करने से क्या फायदा होता है? मैं चाहूंगा कि इस पर फिर से विचार किया जाए। मैं तो चाहता हूं कि इसको फिर से कमेटी को भेज दिया जाए और जितने भी crime से जुड़े हुए ऐक्ट हैं, सब पर एक साथ विचार हो। हमारे योग्य एल.ओ.पी. यहां बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि वे भी मेरी बात का समर्थन करें कि इन सारे कानूनों की समीक्षा करने के बाद देश में एक कठोर कानून बनाया जाए, जो कानून प्रभावी होकर देश में लागू हो। अगर आप judicial system को भी सही नहीं करेंगे, अगर कानून में सज़ा... मैं देख रहा था कि न जाने कितने करोड़ रुपए सिर्फ कसाब की सुरक्षा के नाम पर देश में खर्च हुए हैं। एक आतंकवादी को फांसी देने की सुरक्षा में 63 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): अफज़ल गुरू की भी बात करो।

श्री नरेश अग्रवाल: उस पर भी हुआ होगा।

श्री उपसभापति: नरेश जी, conclude कीजिए।

श्री नरेश अग्रवाल: मैं conclude कर रहा हूं। मंत्री जी, वैसे तो आप हंस कर टाल ही देंगे क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री बड़ा ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude. Don't interrupt.

श्री नरेश अग्रवाल: लेकिन मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी यह घोषणा करें, इस पर फिर से पुनर्विचार करें। इसकी जो उपधाराएं हैं, कल आपके दल के सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने भी तमाम शंकाएं व्यक्त की थीं। मैं चाहूंगा कि उन सभी चिंताओं पर विचार करते हुए अगर आप एक नया कानून लाएंगे, तो समाजवादी पार्टी उस पर विचार करेगी, अन्यथा हम इस काले कानून का विरोध करते हैं।

SHRI A.A. JINNAH (Tamil Nadu): Respected Deputy Chairman, Sir, I rise to support the Bill, but there are some apprehensions in my mind. The present amendment does not have any safeguard and there is more possibility of its misuse by police to harass the innocent people. One of the major provisions in the proposed amendment criminalises the raising of funds from legitimate or illegitimate sources. My apprehension is that this provision may be misused to harass NGO's raising funds through legitimate sources. ...*(Interruptions)*...

SHRI M.P. ACHUTHAN (Kerala): Sir, we are discussing a very important Bill concerning ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Achuthan, what is your point?

SHRI M.P. ACHUTHAN: We are discussing a Bill relating to the Home Ministry and the Home Minister is not here.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, that point has already been raised and replied also.

SHRI MOHAMMED ADEEB (Uttar Pradesh): It is a very important matter and the Government is not serious about it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, a Cabinet Minister is here. The Minister of State for Parliamentary Affairs is here.

SHRI MOHAMMED ADEEB: It is a question which everybody has asked.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Home Minister is in the other House. Voting is going on there. He has to be there. We have a Cabinet Minister here. That is enough.

SHRI MOHAMMED ADEEB: This shows that ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, you are not listening to me. The Home Minister is in the other House and voting is taking place there. He has to be there. Please sit down. Don't waste the time of the House. Mr. Jinnah, please continue...(Interruptions)...

SHRI A.A. JINNAH: Mere unfounded suspicion will rope in even the legitimate people.

The other important objection is that the phrase "person" is defined broadly in which any person whether innocent or not, can be roped in. ...*(Interruptions)*... Especially, an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not, is open to use. This gives ample leverage to police for gross misuse.

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA (Odisha): Sir, where is the Minister of State in the Ministry of Home Affairs? The concerned Minister should be here.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is this, Mr. Mohapatra? Both are there. They are voting there. Please sit down. You know it. ...*(Interruptions)*... Voting is there. Why do you disturb? Mr. Mohapatra, you know all this.

SHRI MOHAMMED ADEEB: Why are you interested to pass the Bill without the Minister, Sir? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Voting is there in Lok Sabha. I have explained to you already. ...*(Interruptions)*...

SHRI MOHAMMED ADEEB: What is the point in discussing it? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is disruption. ...*(Interruptions)*... I have explained the rationale. Please take your seat. You know there is voting going on. Ministers have to be present there for voting. ...*(Interruptions)*... Don't you know this requirement? It is constitutional requirement. ...*(Interruptions)*... No, no. This is indiscipline.

SHRI MOHAMMED ADEEB: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. That will not go on record. ...*(Interruptions)*... No, Adeeb ji, you are a senior Member.

SHRI A.A. JINNAH: Sir, I urge upon the Government to revisit the legitimate fund raising issue. It is punishable irrespective of whether the funds are actually used to commit the terror act or not. All that the prosecution needs to show is that the accused had knowledge that the funds could be or were likely to be used for terror act.

Sir, section 6 of the Act has completely taken away the scope of judicial scrutiny to prevent its misuse.

Sir, I am sorry to state that in our country, some fanatics are using the words or versions of holy Quran and some of the Urdu literature was shown as incriminating material.

There were instances where certain youngsters shouting slogans against the Government were arrested. Under the normal criminal law, these acts are nothing or inconsequential. But if the police cites these youngsters as having connection with terrorists, all these innocents have to languish in jail till they prove their innocence after a protracted trial running into many years.

I demand that the Government has to make sure that these provisions are not misused. There are serious controversial laws like TADA and POTA, which were enacted to combat terrorism in our country. These Acts were grossly misused by several State Governments, including my State of Tamil Nadu. All these laws have made police less accountable though there was ample proof of misuse. That is evident when several political leaders were put in jail for months together for nearly two years, without any proper inquiry, as the Courts were also not having powers. But, when our beloved leader, Dr. Kalaignar came to power, immediately, next day, he released all of them from jail. The present amendment should not become such a law wherein the Government in power misuses the volatile provisions to achieve their petty political ends. It is now going on.

Therefore, our Party, the DMK, demands that the UPA Government should come out with categorical assurances. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

*Not recorded.

DR. K.P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): Sir, kindly allow him to complete. ...*(Interruptions)*...

SHRI T.K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): He is from a Party supporting the Government. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Whether supporting or opposing, the Chair is neutral to that. Don't say that. ...*(Interruptions)*... The Chair has no difference. Whether supporting or opposing, it is immaterial for the Chair. Please understand that.

SHRI A.A. JINNAH: Sir, Government should come out with categorical assurances and provide for enough and stringent safeguards against the misuse of the present law in discussion. Thank you.

DR. YOGENDRA P. TRIVEDI (Maharashtra): Sir, the legislation before us is Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, UAPA Amendment Bill. The original legislation was passed in 1967. Forty-five years have passed. There may be deficiencies in implementation; there may be some lacuna in the original legislation, but that is not under discussion today. Today the issue which is under discussion is the Amendment Bill. So, let us look at the Amendment Bill and what it is trying to do and what it is trying to achieve. The original Act has become history, और उसकी तरफ भी ज्यादा बहस करने से कोई फायदा नहीं है। Present legislation क्या है, जो ऑरिजनल बिल था, it did not have sufficient teeth. It is only giving more teeth to that original Bill. My party is supporting the Amendment Bill because it believes that terrorism की कोई सीमा नहीं है। Different outfits अलग-अलग तरीके से टेरेरिज्म चलना चाहता है। पहले हम कहते थे कि कहीं बम ब्लास्ट हुआ, it is a terrorist attach. हमको एक बहुत बड़ी लिस्ट भी दी गई कि कहां-कहां बम ब्लास्ट हुआ था और उससे कितना नुकसान हुआ था? कोई एयरप्लेन हाईजेक होता है, that was considered to be a terrorist attack. Now, things have started changing. There is terrorism which comes in different forms. There can be terrorism by introducing counterfeit currency on a wide scale which would disrupt your economy. उसको चैक करना चाहिए। Then, there is something like cyber terrorism. मैंने एक सवाल कल साइबर टेरेरिज्म के बारे में पूछा था। साइबर टेरेरिज्म क्या है और उसको मीट करने के लिए हमारे पास क्या-क्या सुविधाएं हैं। उसका जवाब था, terrorist outfits are now adopting the most modern means of communication, including rampant use of cyber space in social networking sites for

[Dr. Yogender P. Trivedi]

carrying out terrorist activities. Various methods are being used by terrorists such as e-mails for communication, posting and hosting of provocative clips, photographs, morphed images and content on social networking sites for inciting violence, disturbing public order and malicious propaganda. Various malicious activities are done by these cyber terrorists. तो टेरेरिस्ट बहुत आगे बढ़ रहा है। उसको मीट करने के लिए हमको ज्यादा सोचना पड़ेगा। पहले हम देखते थे कि कोई फाइव स्टार होटल में गया, उसकी चैकिंग की, लेकिन अभी तक कोई टेरेरिस्ट पकड़ा नहीं गया। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी में हम लोगों की इतनी तलाशी ली जाती है, कोट उतरवा लेते हैं, उसमें भी कोई टेरेरिस्ट पकड़ा नहीं गया है। टेरेरिस्ट अलग-अलग तरीके से देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हमको सोचना चाहिए कि टेरेरिज्म को कैसे रोका जाए। One of the things which is envisaged in this legislation is counterfeit currency. Then, the other thing is those who are feeding the terrorists by way of finance. It is very important. America fought the drug mafia by checking the supply chains, namely, the Swiss Bank accounts. Britain fought the Irish terrorists by choking up the financial resources. तो हमको जानना चाहिए कि यह जो फाइनेंसियल रिसोर्सेज़ आ रहा है, वह नेबरिंग कंट्रीज से आता है, पाकिस्तान से आता है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ से आता है, सऊदी अरब से आता है, इसको हमें किसी भी तरीके से बंद करना है। इसके लिए यह लेजिस्लेशन लाया गया है। हम इस लेजिस्लेशन को सपोर्ट करते हैं और हम यह भी कहते हैं कि इसके लिए ज्यादा सोचने की बात यह है कि यह जो पैसे आ रहे हैं, इसका स्रोत कहां है - पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट है, उसको कैसे स्टॉप किया जाए। मैं एक अमेरिकन डिप्लोमेट के साथ डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा कि टेरेरिज्म तो है, आप अमेरिका में टेरेरिज्म की बात कर रहे हैं, टेरेरिज्म का सबसे बड़ा विक्टिम और पहला विक्टिम हिन्दुस्तान है, इंडिया को इसके कारण सफर करना पड़ा। उसने मुझे जवाब दिया, वह बहुत पर्टिनेन्ट है। मैं वह बात बताकर, अपना भाषण समाप्त करूंगा। उन्होंने पूछा कि आबादी कितनी है, मैंने कहा तकरीबन 120 crore. उसने कहा कि आप सोचिए अगर 120 crore इस्राइलीज होते तो क्या करते, तो उसका जवाब है, we are considered as a soft spot. अगर किसी को टेररिस्ट अटैक करना है, तो वह हिन्दुस्तान में आकर कर देता है। क्योंकि हमारा reaction is very modest. As was rightly stated, we are overzealous. हम कभी-कभी local population को परेशान करते हैं मगर जहां से यह आता है, उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी किसी ने यह सवाल भी किया था कि यह क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब भी बहुत simple है। जब पाकिस्तान बना और इंडिया व पाकिस्तान का division हुआ,

तो पाकिस्तान ने समझा कि जो लोग वहां रह गए हैं, वे अपना कोई सेकुलर व प्रोग्रेसिव स्टेट नहीं बना सकेंगे। हमने अपना प्रोग्रेसिव स्टेट बनाया और सभी जगह तरक्की भी की और हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब साथ में रहे। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट succeed होता है that means Pakistan was not necessary at all. क्यों बनाया गया? यहां भी सब लोग आराम से, चैन से रह सकते हैं। The point is that they don't want our experiment to succeed. इसलिए यह सब हो रहा है। हमारे लोकल लोगों को परेशान करने से कोई फायदा नहीं है। जहां इसकी सोर्स है, उसको बंद किया जाना चाहिए, यही बात हम कहते हैं मगर मैं इस लेजिस्लेशन का सपोर्ट करता हूं कि यह थोड़ा attempt है in order to curb that source. Thank you, Sir.

SHRI RABINARAYAN MOHAPATRA (Odisha): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am thankful to you and my floor Leader for having given me this opportunity to participate in the discussion on The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2012.

Sir, on the basis of the commitment made by India at the time of admission as 34th member of the Financial Action Task Force, various legislative and other legally binding measures were required to be taken. For that, The Unlawful Activities (Prevention) Act was required to be amended to bring more clarity on the existing legal regime and remove deficiencies identified in the implementation of provisions of the Act by the Central and State intelligence and investigating agencies.

The primary policies issued by the FATF are forty recommendations on The Money Laundering Act and nine recommendations on the Unlawful Activities (Prevention) Act. In the FATF recommendations, one of the concerns is that the non-profit organisations are being used as means for terrorist financing and funding.

For that, in section 2 of the Act, the definitions of "person" and "proceeds of terrorism" have been substituted.

In section 15, the words "economic security" have been inserted and in section 17, provision has been made for punishment for raising funds for terrorists.

Sir, in this regard, some questions are coming to my mind. Are all non-profit organisations financing and funding terrorists? The answer is, 'No.' The apprehension is misuse of law by the police and investigating agencies, because no safeguards have been made in the Bill. We know that the Government has

[Shri Rabinarayan Mohapatra]

failed in ensuring accountability of the guilty police and intelligence officers in several cases throughout India. The fear arises whether the rights of the citizens will be affected.

The hon. Minister should clarify this. Another thing that came to my mind is, whether this Bill will be useful to curb problems of Maoists and terrorist activities done by private initiatives to raise financial resources by extorting money from the implementing agencies of development projects in India. The answer again is, "No". The hon. Minister should clarify this. Another question came to mind. Will the hon. Minister assure the House that the black-money of Indians deposited illegally or legally in foreign banks like Swiss Bank, HSBC Geneva branch, etc., is not being used at present or will not be used in future for any terrorist activities? The answer will definitely be, "No". It is because the Government has not been able to keep its promises in bringing black-money deposited illegally in foreign banks back into the country. The hon. Minister should go to the genesis of the problems of the country. Hence, more amendments are required in the interest of law and in the interest of the citizens of India.

Sir, I urge upon the Government of India that we should take a lead on a remarkable transparent global financial system as well as law and order system with regard to the 49 recommendations of Financial Action Task Force not only in the interest of its citizens but also in the interests of the developing nations to ensure the leadership among the members of FATF. Sir, due to these 49 recommendations, when we are going to amend this Bill, we should have to ensure safeguards like National Human Rights Commission. Safeguard procedure should be there. I urge upon the Government to do that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please conclude.

SHRI RABINARAYAN MOHAPATRA: So, with such amendments, I support the Bill. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Kumar Deepak Das; not here. Now, Shri Sanjay Raut. I have to announce one thing that in the 'Others' category, there are eight names. Total time available is 19 minutes. That means, each Member will get around two-and-a-half minutes. But, I am ready to double it, to make it five minutes. It is 200 per cent increase. You take five minutes. I won't mind. Take maximum five minutes.

श्री संजय राउत: उपसभापति जी, आप बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**... उपसभापति जी, हम एक बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यह पूरा विषय देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। आज जिस तरह से देश में आतंकवाद बढ़ रहा है, उसस देश असुरक्षित हो गया है। जनता सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब है कि हमारी सरकार और हमारा कानून कहीं न कहीं कमजोर पड़ गया है। जिस तरह का आतंकवाद हिन्दुस्तान में, पूरे देश में फैल रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि उसके कमांडर पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान से ही हमारे देश में आतंकवाद नियंत्रित हो रहा है। पाकिस्तान के लिए मैं मान सकता हूं कि पाकिस्तान हमारे देश का दुश्मन है, हमारे देश को तबाह करने पर तुला है, लेकिन हमारे देश के ऐसे बहुत से नेता हैं, हमारे देश के कुछ ऐसे मंत्री भी हैं, जो हमेशा से पाकिस्तान की नीति का समर्थन करते आए हैं। हम इसका क्या मतलब समझें? जैसे कि उस दिन, 13 दिसम्बर को, जब हम संसद भवन में शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तब एक मंत्री, श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी संसद के बाहर खड़े होकर अफ़जल गुरु की वकालत कर रहे थे कि उसको फांसी मत दो।

यह पाकिस्तान की भाषा है। पाकिस्तान भी इसी भाषा में बोल रहा है कि अफ़जल गुरु को फांसी मत दो। इस देश के एक मंत्री भी यही कहते हैं कि अफ़जल गुरु को फांसी मत दो। मुझे लगता है कि अगर हम आतंकवादियों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे मंत्रियों के खिलाफ भी, जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए इस The Unlawful Activities (Prevention) Act में उनके लिए इस प्रकार का कोई प्रावधान होना चाहिए, जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, नहीं तो इस प्रकार से कानून बनाने का कुछ फायदा नहीं होगा।

सर, अगर हमारे अन्दर पाकिस्तानी आतंकियों को सजा दिलाने की हिम्मत नहीं है, तो हम अपने आपको ताकतवर देश कहलाने के लायक नहीं हैं। लेकिन आज हम क्या करने जा रहे हैं? The Unlawful Activities (Prevention) Act, जो 1967 में बना था, उसमें हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा? सर, 9/11 के बाद अमेरिका पूरी तरह से बदल गया। अमेरिका पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। अमेरिका सख्त हो गया और आतंकवाद से निपटने के लिए उसने बहुत से कानून लाए। वह Patriot Act लाया, पुलिस रिफॉर्म लाया और उसने ग्वांतानामो बे जैसे कदम उठाए। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई, लेकिन उसने देश की सुरक्षा मतबूत कर दी। 9/11 के आद अमेरिका पर दूसरा हमला नहीं हुआ है, लेकिन हमारे देश में बार-बार हमले होते रहे हैं। मुम्बई में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं। पूरा देश असुरक्षित है और हमारे पास "पोटा" जैसा जो एक मजबूत कानून था, जो Prevention of Terrorism Act कहलाता था, हमने उसको खत्म कर दिया। हमने उसे क्यों खत्म कर दिया? वोटों के लिए, वोट बैंक के लिए आतंकवादियों की वकालत करने के लिए, जो लोग जेल में बंद थे, पुलिस जिसको पकड़ना चाहती थी, उसको छुड़ाने के लिए

[श्री संजय राउत]

और राजनीति करने के लिए हमने "पोटा" खत्म कर दिया। आज हम उसी कानून में थोड़ा फेरबदल कर यह the Unlawful Activities (Prevention) Act लाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा। 1993 के मुम्बई विस्फोट में जो आरोपी थे, मेनन ब्रदर्स, उनको फांसी की सजा हुई, लेकिन हमने अब तक उनको फांसी नहीं दी। अफ़जल गुरु को भी आराम करने के लिए हमने तिहाड़ जेल में रखा है। हम उसको फांसी नहीं दे रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं।

सर, यहां माइनॉरिटी की बात हो रही थी कि यह जो कानून बन रहा है, वह माइनॉरिटी के खिलाफ है। सर, आतंकवादियों का न माइनॉरिटी, न मेजोरिटी, न जात, न धर्म, न पंथ है, जैसा मुख्तार अब्बास नक़वी जी ने कहा। मुझे लगता है कि यह कानून हिन्दू संगठन को टारगेट करने के लिए लाया गया है। यह जो सेक्शन 2(i) (eb) है, उसके माध्यम से आप एक अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें 'person' यानी 'व्यक्ति' शब्द की जो परिभाषा है, वह आपने define की है। आप देखिए, the word 'person' would also include now- an individual, a Hindu Undivided Family, a company, a firm, an association of persons or body of individuals, whether incorporated or not, every artificial juridical person, not falling within the preceding sub-clauses and any agency, office or branch owned or controlled by any person falling within any of the preceding sub-clauses."

श्री उपसभापति: संजय जी, आप कंक्लूड कीजिए।

श्री संजय राउत: इससे पुलिस को सत्ता मिलेगी और ...

श्री उपसभापति: आपका समय खत्म हो गया है। आपके पांच मिनट हो गए हैं।

श्री संजय राउत: इसका खुल्लमखुल्ला दुरुपयोग होगा।

सर, दूसरी बात है कि आपने जो Hindu Undivided Family की बात की है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। इस देश में सबसे ज्यादा divided हिन्दू ही है। अगर हिन्दू undivided होता, तो कोई आतंकवाद नहीं बढ़ता। लेकिन उसमें आपने Hindu Undivided Family की बात की है। आप हिन्दू संगठन को ...

श्री उपसभापति: आप कंक्लूड कीजिए।

श्री संजय राउत: उसको टारगेट करना चाहते हैं।

सर, एक बात यह है कि इस सदन में जैसे नरेश अग्रवाल जी ने कहा है कि निर्दोष मुसलमान जेलों में बंद हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे कुछ केसेज़ हैं, जहां निर्दोष हिन्दू युवक भी जेल में हैं। उनके साथ भी जिस प्रकार की बात हो रही है, वह भी गलत है। मैं मालेगांव विस्फोट की बात करना चाहता हूं। मालेगांव विस्फोट में ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति: आप कंक्लूड कीजिए।

श्री संजय राउत: उसके लिए पी. चिदम्बरम साहब, जो गृह मंत्री थे, हबीबुल्लाह जी, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख थे, सलमान खुर्शीद जी ने भी वकालत की। और उनको बचाने के लिए यहां से आदेश गया ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: संजय जी, प्लीज़ कन्क्लूड कीजिए ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय राउत: लेकिन उसी मालेगांव के लिए चार साल से जो ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आपके सात मिनट हो गए, कन्क्लूड कीजिए ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय राउत: ऐसे बहुत से लोग हैं, आप उनको जेल के अन्दर बंद करते हो और ...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापति: पांच मिनट की जगह आपके सात मिनट हो गए ...**(व्यवधान)**... Please resume your seat.

श्री संजय राउत: अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि आप कानून बनाना चाहते हैं, तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए। किसी धर्म के आधार पर न मुसलमानों के लिए और न ही हिन्दुओं के लिए कानून अलग नहीं हो सकता है। यह जो The Unlawful Activities (Prevention) Act बन रहा है, उससे आतंकवाद नहीं खत्म होगा। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat ...*(Interruptions)*...

श्री संजय राउत: मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। धन्यवाद।

श्री उपसभापति: श्री वी.पी. सिंह बदनौर।

SHRI V.P. SINGH BADNORE (Rajasthan): Mr. Deputy Chairman, Sir, I stand to speak on the Unlawful Activities Act, 1967 which is being amended. Interestingly, it will be nice to revisit the 1967 Act. When we revisit it, we find that it was in the backdrop of the 1962 Chinese aggression, the activities of the Azad Kashmir and what was happening at that time.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN) in the Chair]

When I was digging into the speeches made in 1967, there were stalwarts like Shri Atal Bihari Vajpayee, Shri J.B. Kriplani and others who spoke on this Act. Let me just take out excerpts from what they said. This will tell us why this Unlawful Activities Act came about in 1967. I quote, "As regards the need for such a law, I have absolutely no doubt. There are people in this land who are preaching from day to day, treachery to this nation who say that foreign invasion is a necessary

[Shri V.P. Singh Badnore]

condition for the improvement of the nation. Therefore, this law is necessary. But let the Government also realize why people listen to such people who want the division of the country or want a revolution to be brought about in this country by a foreign invading army. Why do people talk about China? And why are some Kashmiris disloyal to this country? All this is because the Government has not been able to solve the economic problem of this country."

Having said this, it is interesting that the law that was framed 45 years ago now has to encompass what we think of terrorism of today. We all know about the 9/11; we all know of the attack on Mumbai. In those days and today, things have changed so much. The threat perception of terror today is so different from what it was at that time and the word 'terrorism' was not mentioned in the Bill.

No one country, today, can fight terrorism alone, and we need the support of many countries. We can also say here that, in India, we do not have kind neighbours, friendly neighbours, and that is one of the big issues. Sir, it is in this light that the United Nations came out with two Resolutions, namely, 1267 and 1373, and this was because of the FATF and the CFT. The CFT is the Convention on Financing of Terrorism. Everybody knows that if there is a terrorist attack, it is not an individual who can do it. It is not even a group of people who can do it. They need support. They need financing. It is a big, full-time scale operation that they have to really evolve, and only then is there a terrorist attack. And the terrorists today are finding new ways and means of doing it. They did it in America. Nobody had even thought that the plane that we take every day could be made into a weapon. And that was an innovation. But after the 9/11 of 2001, America itself has not faced any terrorist attack because now there are stringent laws. Here, in India, we had the POTA and the TADA. But now, this law, which was framed in 1967, did not even mention terrorism. So, it has to become a comprehensive law by which we can stop terrorism in India.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Mr. Singh, your time is over. Please conclude.

SHRI V.P. SINGH BADNORE: The Chair had said that he would give me ten minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): I know, but I have to warn you of the time.

SHRI V.P. SINGH BADNORE: I will cut down my points, and I will speak directly on the issues related to this Bill, and that is, financing of terrorists. One of the things that have been mentioned here is counterfeit currency. I would like to talk about the counterfeit currency which is coming from a lot of countries into this country. This is something very serious and I would want to say that you cannot stop counterfeit currencies coming into India. But whose fault is it? The fault lies with us because today if you see a currency, — the latest currency today is the Euro — the Euro has so many salient safety features that it cannot be copied; it cannot be counterfeited. But here, we have a thousand rupee note with a very few safety features, and it is being counterfeited. Now, people have not even tried to counterfeit the Euro currency because it cannot be done. There are colours; there are other features which are just impossible to be counterfeited. Why can't we have something like that? Do away with the thousand rupee notes, and go in for five thousand rupee notes and ten thousand rupee notes. It is only the big denomination currencies which are counterfeited and not the ten rupee notes or five rupee notes. You can even go in for plastic notes, if you want, for the ten rupee notes or the twenty rupee notes or even the fifty rupee notes. Slowly we can do away with the thousand rupee notes and go in for five thousand rupee notes and ten thousand rupee notes, and in those five thousand rupee notes and ten thousand rupee notes, have safety features like what has been done in Euro. Even the dollars cannot be counterfeited. Why is it that we are getting so much of counterfeited money into India? That is one of the things which I wanted to mention.

Sir, a Member also talked about Hindu Undivided Families (HUF). That has been left out because it was argued in the Lok Sabha and it was felt that if one member of the whole HUF gets into this trap of terrorists, the whole HUF should not be put behind bars or whatever it is. That is why that has been taken care of, and I am grateful to the hon. Minister for having done that.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Okay, your time is over.

SHRI V.P. SINGH BADNORE: Sir, I have just one point more. I have an amendment relating to NGOs because NGOs have not been covered. There are all sorts of NGOs, and the NGOs' money is coming from abroad. International NGOs are also there. In this Bill, the main thing that you are looking at is funding of the terrorist attacks and the money coming from abroad. And the NGOs are the best way to get money into India. So, they should also be covered. Thank you very much, Sir.

1.00 P.M.

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के सामने जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2012 लाया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं।

यहां पर आतंकवाद तो है, यहां आतंकवादी शक्तियां भी हैं, यह तो सब लोग कबूल करते हैं। बाहर के देश उन शक्तियों की मदद करते हैं, यह भी सही बात है। 26/11 जैसे हादसे हुए, जिसमें पाकिस्तान का डायरेक्ट हाथ था, यह भी हम मानते हैं। यहां बार-बार बम कांड हो रहे हैं। पंजाब जैसे प्रगतिशील राज्य में क्या हुआ, हम जानते हैं। हिंसा का मार्ग अपनाने वाले नक्सलवादी हर वक्त देश की स्वाधीनता और एकता को चैलेंज करते हैं। देश की सीमाओं पर भी हिंसाचार करने वाली कोशिश हो रही है। इस देश में आतंकवाद फैलाने के लिए बाहर से पैसा आता है। जाली नोटों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी बातें हैं, इसीलिए यह विधेयक लाया गया है। 1967 के कानून में अमेंडमेंट करने के लिए गृह मंत्री जी ने इसे रखा है। मैं इसका पहले समर्थन करता हूं।

महोदय, देश की हिफाजत के लिए कानून बनना, कड़ा कानून बनना जरूरी भी है। लेकिन, इस विधेयक के बारे में बहुत सारी NGOs, intellectuals, jurists, ex-judges जैसे लोगों ने और कुछ हद तक मीडिया ने भी कई तरह के शक पैदा किए हैं। उनको डर लगता है। उनका कहना है कि दलित, आदिवासी, मुस्लिम आदि लोगों के ऊपर इसका इस्तेमाल हो जाएगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, देश में कानून का राज है, यह बात सब लोगों के ध्यान में लाना बहुत जरूरी है। कानून एक-सा होना चाहिए, यह तो हम लोगों ने पहले से ही माना है। जब से संविधान बना, तब से यहां जात-पात, धर्म-लिंग, आदि का भेद नहीं होगा तथा सब के लिए कानून समान होगा। लेकिन, जो ऐसे कानून हैं, अमल के वक्त क्या उनका अमल सही ढंग से होता है, यह देखना भी सरकार का काम है, ऐसा मैं समझता हूं। सिमी, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा तथा नक्सलवादी संगठन ऐसे हैं, जो हिंसा पर विश्वास करते हैं। हिंसा से इस देश का कोई भला नहीं होगा, यह सही बात है और इसके बारे में कड़ा कानून होना बहुत जरुरी है। जो नेटिव टेररिज्म है, उसके बारे में भी सोचना और उसके ऊपर ठीक ढंग से अमल होना बहुत जरूरी है। हैदराबाद में एक मस्जिद में बम कांड हुआ तथा दिल्ली की में मस्जिद में और अजमेर में ऐसा हुआ। इसके अलावा हमारे महाराष्ट्र के मालेगांव, नांदेड़, औरंगाबाद, पुणे, ठाणे, परभनी, परणी, जालना, गोआ, आदि हर जगह जो बम कांड हुए, वे उन्होंने किए। ये काम किसने किए, इसकी भी मालूमात लोगों को होनी जरूरी है। मंत्री महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इसके बारे में एक दफा आप सारे आंकड़े हमारे सामने रखने का काम कीजिए।

महोदय, ओडिशा में स्टेन को इस ढंग से मारा गया, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? वह कौन-सा संगठन था, जिसने ऐसा काम किया? उसके बारे में क्या कुछ किया गया? Ban करने के बारे में आपने प्रावधान रखा है। मैं तो कहूंगा कि यहां जो भी communal संगठन हैं, जो भी आतंकवादी संगठन हैं, उनके ऊपर ban लगना चाहिए। ऐसा ही मेरा विचार है।

महोदय, मैं पूरी तरह से secularism पर विश्वास रखता हूं, लेकिन जो इस पर विश्वास नहीं रखते हैं और हर समय गड़बड़ी करते हैं, उनके बारे में क्या किया जा रहा है? हमारे यहां सनातन धर्म संगठन है, जो हर दिन गड़बड़ी करता है। बाबा साहेब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले के बारे में बातें करते हैं और मुसलमानों के बारे में बातें करते हैं। कई नेता ऐसे हैं, जो मुसलमानों के बारे में बोलते समय मुसलमान कह कर नहीं बोलते हैं, इसके लिए बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मैं यहां इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं और न बाहर इस्तेमाल कर सकता हूं तथा औरतों के सामने इस्तेमाल करना भी गैर वाजिब है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। साध्वी प्रज्ञा का संगठन कौन सा है? उसके ऊपर ban लगाया जाए। विश्व हिन्दू परिषद, जिसके लोगों ने नांदेड़ में गड़बड़ी की। नांदेड़ में बम कांड हुआ, उसके बारे में क्या हुआ? ...**(व्यवधान)**...

SHRI PIYUSH GOYAL (Maharashtra): Sir, how is he raising that? How can he blame an organization?

SHRI HUSAIN DALWAI : Why not? You have named it.

DR. BHALCHANDRA MUNGEKAR (Nominated): It is his observation. He is giving information.

SHRI PIYUSH GOYAL: How can he raise the name of an organisation? Which court of law has said that? You cannot name an organisation.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please listen to me. We will remove whatever is unparliamentary.

SHRI PIYUSH GOYAL: Let him place on record which court of law has said that.

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: महोदय, ये उन संगठनों का नाम ले रहे हैं, जो संगठन राष्ट्रवादी तरीके से काम कर रहे हैं, जिनकी किसी भी तरह से, किसी भी रूप में कहीं भी involvement की बात किसी कोर्ट ने नहीं कही है, उनको यदि आतंकवादी संगठन के साथ जोड़ेंगे ...**(व्यवधान)**... यह कानून आतंकवादियों के लिए है। ...**(व्यवधान)**...

DR. BHALCHANDRA MUNGEKAR: He is expressing his views. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): You made your point. We will go through the records and then expunge it. Don't worry. ...*(Interruptions)*... We will go through the records and we will go by the rules. ...*(Interruptions)*...

श्री राम कृपाल यादव (बिहार): सर, ये अपना विचार रख रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please cooperate with me. We have to complete it.

श्री हुसैन दलवई: सर, इमानी सावरकर ने "Outlook" में खुलेआम आह्वान किया है कि हम बम कांड करेंगे। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E. M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Kindly come to the point. Don't make it controversial.

श्री हुसैन दलवई: सर,

"हम आह भी भरते हैं, जो तो जाते हैं बदनाम,
वे कत्ल भी करते हैं, तो चर्चा नहीं होती।"

आप चर्चा भी नहीं करने देते हैं। मैं यह नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अगर कोई मुसलमान आतंकवादी है, तो उसको छोड़ दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। उसको सजा होनी चाहिए, इसी तरह से आपको भी एक पोजीशन लेना बहुत जरूरी है। मैं आपके मालूमात के लिए बताता हूं कि अगर कोई सच्चा मुसलमान है, तो वह आतंकवादी हो नहीं सकता है।

"मन् क़त्ल नफसन् बी गौरी,
नक्सीन औफसादी फील,
अरदी फक्अन्नमा
कत्ले नास जमीआ।"

अगर एक बेगुनाह आदमी मारा जाता है, तो पूरी इंसानियत मारी जाती है, ऐसा कुरान शरीफ में कहा गया है। आज मैं आपको याद दिलाता हूं कि इस देश में मौलाना महमूद मदनी साहब ने पांच-पांच लाख मुसलमानों के मेले लिए और उनको कहा कि इस तरह की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं, उनको हम मुसलमान नहीं मानते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: महोदय, सत्ता पक्ष के सदस्य के द्वारा इस तरह की बात की जा रही है। ...**(व्यवधान)**... यह हिन्दू और मुसलमान का प्रश्न नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Nothing will go on record ...*(Interruptions)*... Kindly please sit down ...*(Interruptions)*...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: *
श्रीमती माया सिंह: *
श्री पीयूष गोयल: *
श्री वी.पी. सिंह बदनौर: *

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please sit down ...*(Interruptions)*... Please sit down ...*(Interruptions)*... Singhji, Nothing will go on record ...*(Interruptions)*... Please hear me...(Interruptions)... If you want what you say to go on record, kindly sit down. When I give you a chance, you make your point and then it will be recorded ...*(Interruptions)*... Why interruptions? ...*(Interruptions)*... Please sit down...(Interruptions)...

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Sir, by brining Hindu, Muslim. Christian and Sikh, they feel that all Muslims are terrorists and that is why they are going to say like that ...*(Interruptions)*... You are putting us into a very awkward situation ...*(Interruptions)*... You say that the Bill is going to be against the Muslims and Muslims are all terrorists ...*(Interruptions)*...

श्री हुसैन दलवई: इसमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है ...**(व्यवधान)**...

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Why is he talking about Hindus like that? ...*(Interruptions)*...

श्री हुसैन दलवई: सर, मैं यहां हिन्दू-मुसलमान नहीं करना चाहता ...**(व्यवधान)**... मैं हमेशा इनको एक करने का काम करता रहा हूं, इनके जैसा मैं कभी नहीं करता। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Madam, you have made your point ...*(Interruptions)*...

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र): उन्होंने केवल यह कहा कि कुरान शरीफ में इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं है। ...**(व्यवधान)**... उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। उन्होंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है। ...**(व्यवधान)**... धर्म के बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। ...**(व्यवधान)**... आतंकवाद का धर्म से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री हुसैन दलवई: मेरा आखिर का मुद्दा यह है कि ...**(व्यवधान)**...

---

*Not recorded.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Mr. Dalwai, hear me. Time allotted to you is already over, even though your party has sufficient time. We have already adjusted the time. So, kindly conclude it.

श्री हुसैन दलवई: मेरा यह कहना है कि यह कानून किसके हाथ में देने वाले हैं। पुलिस इसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाली है। क्या पुलिस सेक्युलर है? पुलिस जिस ढंग से काम करती है, मुम्बई के ठाणे में आज एक पुलिस ऑफिसर, जो कमिश्नर हैं, ने एक कॉलेज में लड़कियों के सामने यह कहा कि अगर कोई आपको तकलीफ देता है तो उसकी आंखों में मिर्च का पाउडर डालिए। तो इस तरह की पोजिशन ध्यान में रखते हुए इसका इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त कोई कमेटी बनानी चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): OK, thank you, Please sit down ...*(Interruptions)*...

श्री हुसैन दलवई: सर, लास्ट में,

In view of the above, I earnestly request the Government to implement this legislation with utmost care and caution objectively and transparently to punish all individual and forces that create communal disharmony or any kind of terrorist activity, whether foreign or native. "तारीख के पन्नों ने वह दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई है" थैंक्यू वैरी मच।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Now, Shri Sabir Ali. Kindly confine yourself within two minutes. We have to finish this business quickly, so that all the hon. Members will get the benefit of speaking on this ...*(Interruptions)*... Please cooperate with us. Please do not waste the time. Please do not waste the time.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (Bihar): Sir, everyone has got the right to make his or her views. We respect that. But, there is a Bill under consideration which the Government is trying to improve for rightful measure, because the scourge of terrorism is certainly afflicting the country. I think, we have to avoid any kind of bitter expression which is beyond the scope of the Bill. In fact, two hon. speakers from BJP confined to that. I would request all of us to confine to that. Otherwise दोनों तरफ कहने को तो बहुत है। Atleast, we will have to take care.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (मध्य प्रदेश): सर, मुझे माननीय सदस्य से सिर्फ इतना कहना है कि जो बात आप हमें कहते हैं, तो थोड़ा अपनी तरफ भी ख्याल रखिए। ...**(व्यवधान)**... सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**... मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि मुख्तार अब्बास नक़वी भाई अपना भाषण देते समय आपने कई मिनिस्टर्स का हवाला दिया, कई पॉलिटिकल पार्टीज का हवाला दिया। उनका हवाला देकर उन पर allegations भी लगाए, उनके शामिल होने

की बात भी कही। तो जब आप कह रहे थे तब तो ठीक था और जब वह कुछ कह रहे हैं तो गलत है। अगर गलत है तो दोनों तरफ गलत है और ठीक है तो दोनों तरफ ठीक है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Your Deputy Leader has already spoken, please sit down. ...*(Interruptions)*... Please cooperate. ...*(Interruptions)*... I gave chance to all. ...*(Interruptions)*... There need not be argument once again. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: We are cooperating with the Government. The Government has to create the right environment. ...*(Interruptions)*...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: सर, अगर मैंने अल कायदा का नाम लिया, अगर जैश ए मोहम्मद का नाम लिया, लश्कर ए तैयबा का नाम लिया तो वे आतंकवादी हैं, यह सरकार भी कह रही है, देश भी कह रहा है, इसमें किसी को क्या आपत्ति है?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please sit down, it is okay. You made your point, kindly sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री साबिर अली (बिहार): सर, डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं जब बोलने के लिए खड़ा हुआ तो आपने दो मिनट का restriction लगा दिया, मैं आपसे माज़रत के साथ कहता हूं कि मुझे कम-से-कम 5-7 मिनट का समय जरूर दिया जाए।

मैं इस अमेंडमेंट बिल पर अकलियत की concern से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। आज की अकलियत की ओर से एक शेर कांग्रेसियों के लिए कहा गया है, "उस बेवफा पर कैसे मैं, करता न एतबार, उस बेवफा के चेहरे पर चेहरा वफा का था।"

सर, मैं अपनी बात शुरू करते हुए आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में संशोधन की जरूरत नहीं थी। अभी इस देश में जितने कानून बने हैं, मैं समझता हूं कि अगर उनको ठीक से नाफ़िज किया जाए, तो इस देश में कोई भी ऐसे जराइम नहीं हैं, कोई ऐसा मुल्जिम नहीं है, जिसे छोड़ा जा सकता हो, लेकिन जब कोई अमेंडमेंट आती है, जैसे "पोटा" आया "टाडा" आया और देश के मुसलमान नौजवानों पर जो जुल्म ढाए गए, उनके आंकड़े सदन में क्वैश्चन के द्वारा पूछे गए, तो उसका क्या जवाब आता है, मैं यहां बताना चाहता हूं। मेरे द्वारा पूछे गए क्वैश्चन का नम्बर एक था, जिस पर गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े चौंकाने वाले थे। उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि इस संबंध में जब सदन में आंकड़े पेश किए जाते हैं, तो वे * होते हैं। मैं दोहराता हूं कि वे * होते हैं। मुझे आंकड़े दिए गए कि इस देश में कितने मुस्लिम नौजवानों को बगैर सबूत के गिरफ्तार किया गया।

---

*Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): If it is unparliamentary, it will be expunged.

श्री साबिर अली: सर, उस जवाब में था कि 51 हजार मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा गया जोकि अंडर ट्रायल हैं और 4 साल से 14 साल तक जेलों में बंद हैं। उनके बारे में ठीक से कार्यवाही नहीं की गयी और न उन्हें जमानत मिली, लेकिन हिंदुस्तान के लीडिंग अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1,02,662 मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा गया जिनका कोई जुर्म नहीं था। सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आप ऐसे कानून मत लाइए, ऐसे अमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं है, जिनसे इस देश के एक-चौथाई नौजवानों की मानसिकता पर यह असर जाए कि वे असुरक्षित हैं। आप पुलिस के हाथ में ऐसे अख्तियारात् न दें कि मासूम लोगों को बगैर कुछ कहे, बगैर गलती, बगैर illegal कार्यों के पकड़ लिया जाए और 180 दिन बगैर किसी सबूत के जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाए।

सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहां पर होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, उनको इस देश की अकलियत के जज़बात को और उसके डर को, जो जायज है, समझना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बिल को आप वापस ले लीजिए, या फिर इस बिल को समिति के पास भेजिए, जो इसकी ठीक से जांच-पड़ताल करे और फिर उसके बाद अगर इस अमेंडमेंट के अंदर अमेंडमेंट की जरूरत हो, तो आप उसे कर सकें। आज उन लोगों में एक खौफ है, वे यह सुनकर खौफ खा रहे हैं कि कल हमारा क्या होगा? एक बुड्ढा बाप अपने नौजवान बेटे के लिए सोच रहा है कि कल रास्ते चलते उसे कोई पुलिस पकड़ कर, बगैर किसी सबूत के, कहीं जेल में न डाल दे।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Okay; thank you very much. You have made your point. I have already given you more time than what was allotted to you.

श्री साबिर अली: सर, मैं सिर्फ दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं। मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, कन्क्लूड कर दूंगा। मैं मंत्री जी को मशविरे के तौर पर एक शेर के साथ यह कहना चाहूंगा कि–

सुना है सांप भी पलते हैं आस्तीनों में,
हमेशा झांकते रहिएगा आस्तीनों को।

सर, मैं बहुत कुछ न कह कर ...(**व्यवधान**)... नहीं, उनके बीच ऐसे लोग हैं, तभी इसी तरह का बिल आता है। मैं उनके बीच के लोगों की बात करता हूं, किसी पार्टी की बात नहीं करता हूं।

सर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आप इस बिल को वापस ले लीजिए और ऐसे लोग जो आपको आंख मूंद कर के सियासत में लाते हैं, जिनके वोट पर आप हुकूमत में कायम हैं, कम से कम उनको भी दिलासा देने का, उनको मजबूती देने का,

उनको मुस्तेहकम बनाने का काम कीजिए, न कि उनको डराने का ऐसा कानून लाइए, जिससे सहमे हुए अपने घर में बैठे रहें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत-बहुत शुक्रिया, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Shri Mohammed Adeeb. ...*(Interruptions)*... Allow him to speak. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI R.P.N. SINGH): Sir, I have one clarification. माननीय सदस्य ने कहा कि उनके सवाल पर होम मिनिस्टरी ने गलत आंकड़े दिए हैं। मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमने जो उनके क्वेश्चन का जवाब दिया था, बिल्कुल सही आंकड़ों के साथ दिया था। अगर उनको कोई गलतफहमी थी, तो हाउस के सामने उनको लाना चाहिए था।

श्री साबिर अली: सर, मेरे पास आंकड़े हैं, यह टाइम्स अखबार की ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): You have made your point.

श्री मोहम्मद अदीब: सर, बहुत अफसोस की बात है कि आज फिर एक ऐसा बिल लाया जा रहा है, जहां पुलिस को बेअख्तियार पावर दी जा रही है। पुलिस के दिल अभी तक ठंडे नहीं हुए हैं, जहां सैकड़ों केसेज़ में लोग बारह साल, पन्द्रह साल बाद यह कहकर छूटे कि "not found guilty". इस हुकूमत को कभी यह फिक्र नहीं हुई कि जिन पुलिस वालों ने पन्द्रह, सोलह साल तक मासूमों को जेल में रखा, उन पुलिस वालों को सजा देते और उनको कम्पन्सेशन देते, रिहेब्लिटेट करते, जिनके माथे पर आपने लिख दिया कि देशद्रोही। किसी रिफॉर्म से कोई फायदा नहीं होगा, जब तक पुलिस का रिफॉर्म सही नहीं होता।

सर, आप देखिए, आप कानून बनाते हैं। आपने अभी इंफॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का 66(ए) कानून बनाया। दो मासूम बच्चियों को पुलिस वालों ने अपने आतंक से फंसा दिया। रोज के रोज पुलिस ऐसा करती जा रही है और ये ऐसे लोग हैं, जिनके दिलों में, जिनके सीनों में दर्द नहीं उठता। आज पूरी कौम की कौम सेन्स ऑफ फीयर में रह रही है। यह मुल्क कैसे तरक्की करेगा, अगर उसे आप सेन्स ऑफ बिलोंगिंग नहीं देंगे? तरह-तरह के बिल लाए जा रहे हैं। बिल की बात तो मैं बाद में करूंगा, होम मिनिस्टर साहब मौजूद नहीं हैं, लेकिन मेरे दोस्त मौजूद हैं, मैंने होम मिनिस्टर साहब को जाकर वह खत दिखाया था। हमारे एटीएफ के चीफ पुलिस की पोजीशन में आपको बता रहा हूं, जिनके हाथ में आप यह पावर देने जा रहे हैं। रघुवंशी, महाराष्ट्र के एटीएफ के चीफ, उन्होंने कर्नल पुरोहित और कर्नल रायकर को अपनी पुलिस में बुलाया और उसके बाद उन्होंने कर्नल पुरोहित और कर्नल रायकर को यह खत लिखा कि आपकी सोच से और आपकी ट्रेनिंग से हमें बहुत फायदा हुआ है। वह खत मैंने होम मिनिस्टर साहब के हवाले किया। आपने क्या एक्शन लिया? वह एटीएफ का चीफ है। उसके बाद उसी कर्नल पुरोहित और कर्नल रायकर ने पुणे में, जो हिन्दू

[श्री मोहम्मद अदीब]

संगठन थे, उनके सौ लोगों को बम बनाने की ट्रेनिंग दी। आपने क्या एक्शन लिया? आप कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। आप हमको यह बताइए कि ये महाराष्ट्र के 61 लोग हैं, जो इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर बंद हैं। आज ये सरकार की तरफ से बताएं कि इंडियन मुजाहिदीन का दफ्तर कहां है, ये बताएं कि उसके office bearers कौन हैं? सिर्फ इसलिए कि पूरी दुनिया में जिस वक्त मुजाहिदीनों का नारा लगा था तालिबान का, हिंदुस्तान का मुसलमान वहां नहीं गया था और इसी हाउस में आडवाणी जी ने कहा था कि फ़क्र है कि हिंदुस्तान का कोई मुसलमान वहां नहीं गया। वहां से इंडियन मुजाहिदीन का नाम पैदा किया गया। मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि ज़रा यह बताइए कि किस थाने में इसका ऑफिस है? किस तरीक़े से और कितनी पावर आप इस बिल के माध्यम से देना चाहते हैं?

हमारे नक़वी भाई ने बहुत सही बात कही थी टेलीफोन के नाम पर कि आपका टेलीफोन आ गया है, बहुत लोगों को पकड़ा गया। 12 नवम्बर को मुम्बई हाई कोर्ट में 2008 के मुकदमें में 9 लोगों का मुकदमा हुआ और पुलिस ने यह कहा कि हमारे पास इनके टेलीफोन के रिकॉर्ड मौजूद हैं। जब अदालत में 5 सालों बाद यह मामला आया, तो पुलिस कहती है कि हमने ये रिकॉर्ड खो दिए, हमने जला दिए और इतने सालों से वे बच्चे जेल में बंद हैं, इसका हिसाब कौन देगा? आखिर आप क्या चाहते हैं? क्या आप वहशियों का मुल्क बनाना चाहते हैं? आज पुलिस को इतना अख्तियार दे रहे हैं, अगर आप accountability नहीं ला पाए, अगर आपने checks and balance नहीं रखा, तो वह वहशियों का मुल्क बन जाएगा। यहां दलित, बैकवर्ड, मुसलमान और दूसरी अकल्लियतें खौफौह्रास में रहेंगी। इसलिए इस तरह का बिल लाने से बेहतर यह है कि आप इस बिल को वापस ले जाइए, सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, सबसे मशविरा कीजिए। अगर आपने यह बिल पास किया, जो आपकी आवाज लग रही है, दो दिनों से कहा जा रहा है कि हमें फौरन बिल पास करना है, पुलिस को और कुव्वत देनी है, मासूमों के दिलों को आप तरबाह कर दीजिए। उन मांओं के पास जाइए, जो 12-12 सालों से अपने बच्चों की औलादों को देख रही हैं और जब वे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, तो अदालत कहती है – "Not found guilty."

उपसभापति जी, मैं गुज़ारिश करना चाहता हूं कि आप इसमें तीन बातों का provision लाइए। पहला आप Fast Track Court बनाइए, फैसला कीजिए, अगर वे मुजरिम हैं, तो कत्ल कीजिए, हम सबसे पहले खड़े होंगे। इसी हाउस में हमने कहा था कि अफ़ज़ल गुरु को भी फांसी दो और कसाब को भी फांसी दो, हम उसके लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, जो मेरे मुल्क का नहीं, हम उसके मुल्क के नहीं, लेकिन आपका यह तरीका ठीक नहीं है कि आप हमको मुजाहिदीन के नाम से जोड़ते हैं। आप कहते हैं कि हम इंडियन मुजाहिदीन हैं। इंडियन मुजाहिदीन का दफ्तर तो बता देते, इनके office bearers कौन हैं, यह तो बता देते। SIMI का यह रिकॉर्ड मौजूद है, 12 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि SIMI आतंकवादी नहीं, कट्टरपंथी है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please conclude. ...*(Interruptions)*...

श्री मोहम्मद अदीब: अभी तक उनका सिर्फ एक आदमी convict हुआ है, लेकिन हम उस SIMI की मदद नहीं करना चाहते, इसलिए कि मेरे सब भाई कहते हैं कि अगर SIMI गलत है, तो गलत है ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Thank you. ...*(Interruptions)*... Please conclude. ...*(Interruptions)*...

श्री मोहम्मद अदीब: मैं आपसे तीन बातें कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। होम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बड़े लायक हैं, मेरे बड़े अज़ीज़ हैं, लेकिन अपने पहले वाले होम मिनिस्टर के चक्कर में मत आइए। मैंने आपको खत में भी यही कहा था और मैं फिर कह रहा हूं कि आप इस बिल को वापस ले लीजिए, सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, नहीं तो हम लोग इस हाउस से निकलकर उन सारे लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, जिनके सीनों में दिल धड़कता है और उनसे जाकर कहेंगे कि इस मुल्क में आज गांधी का राज नहीं चल रहा है, न जाने कौन लोग आ गए हैं, जो सिर्फ एक क़ौम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती रेणुका चौधरी (आन्ध्र प्रदेश): ये क्या बात कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री मोहम्मद अदीब: मैं इन अलफाज़ के साथ आपसे गुज़ारिश करता हूं कि आप इस बिल को वापस लीजिए, इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, हमको sense of fear में मत रखिए। अगर accountability नहीं बनती है, अगर पुलिस की accountability नहीं बनती है, तो यह बिल बिल्कुल बेकार है ...**(व्यवधान)**... आप पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आइए ...**(व्यवधान)**... *

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... Please conclude. ...*(Interruptions)*...

श्री मोहम्मद अदीब: *

श्रीमती रेणुका चौधरी: *

श्री मोहम्मद शफी: *

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री मोहम्मद अदीब: अगर हाउस का यह रवैया है ...**(व्यवधान)**... यह देखिए ... यह देखिए। ...**(व्यवधान)**...

---

*Not recorded.

جناب محمد ادیب (اتّر پردیش) : سر، بہت افسوس کی بات ہے کہ آج پھر ایک ایسا بل لایا جا رہا ہے، جہاں پولیس کو بےاختیار پاور دی جا رہی ہے۔ پولیس کے دل ابھی تک ٹھنڈے نہیں ہوئے ہیں؟ جہاں سینکڑوں کیسیز میں لوگ بارہ سال، پندرہ سال بعد یہ کہہ کر چھوڑے گئے کہ "Not found guilty"۔ اس حکومت کو کبھی یہ فکر نہیں ہوئی کہ جن پولیس والوں نے پندرہ، سولہ سال تک معصوموں کو جیل میں رکھا، ان پولیس والوں کو سزا دیتے اور ان کو کمپنسیشن دیتے، ری-ہیبلٹیٹ کرتے، جن کے ماتھے پر آپ نے لکھہ دیا ہے دیش دروہی۔ کسی ریفارمس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب تک پولیس کا ریفارم صحیح نہیں ہوتا۔

سر، آپ دیکھئے، آپ قانون بناتے ہیں۔ آپ نے ابھی 'انفارمیشن اینڈ براڈکاسٹنگ' کا 66 (اے) قانون بنایا۔ دو معصوم بچّیوں کو پولیس والوں نے اپنے آتنک سے پھنسا دیا۔ روز کے روز پولیس ایسا کرتی جا رہی ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں، جن کے دلوں میں، جن کے سینوں میں درد نہیں اٹھتا۔ آج پوری قوم کی قوم 'سینس آف فیئر' میں رہ رہی ہے۔ یہ ملک کیسے ترقی کرے گا، اگر اسے آپ سینس آف بلونگنگ نہیں دیں گے؟ طرح طرح کے بل لائے جا رہے ہیں۔ بل کی بات تو میں بعد میں کروں گا، ہوم منسٹر صاحب موجود نہیں ہیں، لیکن میرے دوست موجود ہیں، میں نے ہوم منسٹر صاحب کو جا کر وہ خط دکھایا تھا۔ ہمارے اے۔ٹی۔ایف۔ چیف پولیس کی پوزیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، جن کے ہاتھہ میں آپ یہ پاور دینے جا رہے ہیں۔ رگھوونشی، مہاراشٹر کے اے۔ٹی۔ایف۔ کے چیف، انہوں نے کرنل پروہت اور کرنل رائے۔

†Transliteration in Urdu Script.

کر کو اپنی پولیس میں بلایا اور اس کے بعد انہوں نے کرنل پروہت اور کرنل رائے-کر کو یہ خط لکھا کہ آپ کی سوچ سے اور آپ کی ٹریننگ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ وہ خط میں نے ہوم منسٹر صاحب کے حوالے کیا۔ آپ نے کیا ایکشن لیا؟ وہ اے۔ٹی۔ایف۔ کا چیف ہے۔ اس کے بعد اسی کرنل پروہت اور کرنل رائے-کر نے پونے میں، ہندو سنگٹھن تھے، ان کے سو لوگوں کو بم بنانے کی ٹریننگ دی، آپ نے کیا ایکشن لیا؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ آپ ہم کو یہ بتائیے کہ یہ مہاراشٹر کے 61 لوگ ہیں، جو انڈین مجاہدین کے نام پر بند ہیں۔ آج یہ سرکار کی طرف سے بتائیں کہ انڈین مجاہدین کا دفتر کہاں ہیں، یہ بتائیں کہ اس کے office bearers کون ہیں؟ صرف اس لئے کہ پوری دنیا میں جس وقت مجاہدین کا نعرہ لگا تھا طالبان کا، ہندوستان کا مسلمان وہاں نہیں گیا تھا اور اسی ہاؤس میں ایڈوانی جی نے کہا تھا کہ ہمیں فخر ہے، ہندوستان کا کوئی مسلمان وہاں نہیں گیا۔ وہاں سے انڈین مجاہدین کا نام پیدا کیا گیا۔ میں ہوم منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ بتائیں کہ کس تھانے میں اس کا آفس ہے؟ کس طریقے سے اور کتنی پاور آپ اس بل کے مادھیم سے دینا چاہتے ہیں؟

ہمارے نقوی بھائی نے بہت صحیح بات کہی تھی ٹیلی فون کے نام پر کہ آپ کا ٹیلی فون آگیا ہے، بہت لوگوں کو پکڑا گیا۔ 12 نومبر کو ممبئی ہائی کورٹ نے 2008 کے مقدمے میں 9 لوگوں کا مقدمہ ہوا اور پولیس نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ان کے ٹیلیفون کے ریکارڈ موجود ہیں۔ جب عدالت میں 5

سالوں بعد یہ معاملہ آیا، تو پولیس کہتی ہے کہ ہم نے یہ ریکارڈ کھو دئے، ہم نے جلا دئے اور اتنے سالوں سے وہ بچّے جیل میں بند ہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ وحشیوں کا ملک بنانا چاہتے ہیں؟ آپ پولیس کو اتنا اختیار دے رہے ہیں، اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں لا پائے، اگر آپ نے 'چیکس اینڈ بیلینس' نہیں رکھا، تو یہ وحشیوں کا ملک بن جائے گا۔ یہاں دلت، بیک-ورڈ مسلمان اور دوسری اقلیتیں خوف و حراس میں رہیں گی۔ اس لئے اس طرح کا بل لانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس بل کو واپس لے جائیے، سلیکٹ کمیٹی میں بھیجئے، سب سے مشورہ کیجئے۔ اگر آپ نے یہ بل پاس کیا، جو آپ کی آواز لگ رہی ہے، دو دنوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں فورا بل پاس کرنا ہے، پولیس کو اور قوّت دینی ہے، معصوموں کے دلوں کو آپ تباہ کر دیجئے۔ ان ماؤں کے پاس جائیے، جو 12-12 سالوں سے اپنے بچّوں کی اولادوں کو دیکھ رہی ہیں اور جب وہ سپریم کورٹ میں پہنچتے ہیں، تو عدالت کہتی ہے "Not found guilty"۔

اپ سبھا پتی جی، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس میں تین باتوں کا پروویژن لائیے۔ پہلا آپ 'فاسٹ ٹریک کورٹ' بنائیے، فیصلہ کیجئے، اگر وہ مجرم ہیں، تو قتل کیجئے، ہم سب سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اسی ہاؤس میں ہم نے کہا تھا کہ افضل گرو کو بھی پھانسی دو اور قصاب کو بھی پھانسی دو، ہم اس کے لئے بالکل منع نہیں کر رہے ہیں، جو میرے ملک کا نہیں، ہم اس کے ملک کے نہیں۔ لیکن آپ کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ہم کو مجاہدین کے نام سے جوڑتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم انڈین مجاہدین ہیں۔

انڈین مجاہدین کا دفتر تو بتا دیتے، ان کے office bearers کون ہیں، یہ تو بتا دیتے؟ SIMI کا یہ ریکارڈ موجود ہے، 12 سال کے بعد سپریم کورٹ کہتی ہے کہ SIMI آتنک-وادی نہیں ہے، کٹّر پنتھی ہے۔

دی وائس چیئرمین (ڈاکٹر ای۔ایم۔سدرشن نچّئپّن) : پلیز کنکلوڈ ...(مداخلت)...

جناب محمد ادیب : ابھی تک ان کا صرف ایک آدمی convict ہوا ہے، لیکن ہم اس SIMI کی مدد نہیں کرنا چاہتے، اس لئے کہ میرے سب بھائی کہتے ہیں کہ اگر SIMI غلط ہے، تو غلط ہے ...(مداخلت)...

دی وائس چیئرمین (ڈاکٹر ای۔ایم۔سدرشن نچّئپّن) : تھینک یو...(مداخلت)... پلیز کنکلوڈ ...(مداخلت)...

جناب محمد ادیب : میں آپ سے تین باتیں کہہ کہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہوم منسٹر صاحب، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے لائق ہیں، میرے بڑے عزیز ہیں، لیکن اپنے پہلے والے ہوم منسٹر کے چکّر میں مت آئیے۔ میں نے اپنے خط میں بھی یہی کہا تھا اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بل کو واپس لے لیجئے، سلیکٹ کمیٹی کو بھیج دیجئے، نہیں تو ہم لوگ اس ہاؤس سے نکل کر ان سارے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں گے، جن کے سینوں میں دل دھڑکتا ہے اور ان سے جا کر کہیں گے کہ اس ملک میں آج گاندھی کا راج نہیں چل رہا ہے، نہ جانے کون لوگ آ گئے ہیں، جو صرف ایک قوم کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں ...(مداخلت)...

شریمی رینوکا چودھری : یہ کیا بات کر رہے ہیں ...(مداخلت)...

جناب محمد ادیب : میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بل کو واپس لیجئے، اسے سلیکٹ کمیٹی میں بھیجئے، ہم کو 'سینس آف فیئر' میں مت رکھئیے۔ اگر اکاؤنٹبلٹی نہیں بنتی ہے، اگر پولیس کی اکاؤنٹبلٹی نہیں بنتی ہے، تو یہ بالکل بیکار ہے ---(مداخلت)--- آپ پولیس ریفارمس لے کر آئیے ---(مداخلت)---(*)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*...Please conclude. ...*(Interruptions)*...

جناب محمد ادیب : (*)

شریمتی رینوکا چودھری : (*)

شری محمد شفیع : (*)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

† **جناب محمد ادیب :** اگر ہاؤس کا یہ رویّہ ہے ---(مداخلت)--- یہ دیکھئے --- یہ دیکھئے ---(مداخلت)---

(ختم شد)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... Please stop it. ...(Interruptions).. Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... Mr. Achuthan, you please proceed. ...*(Interruptions)*... Amar Singhji, please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय मंत्री जी, कृपया अपने पक्ष को भी शांत रखिए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please leave it now. ...*(Interruptions)*... Mr. Achuthan, you please start.

SHRI M.P. ACHUTAN: Mr. Vice-Chairman, Sir, there is no shortage of laws to

---

*Not recorded.
†Transliteration in Urdu Script.

deal with the unlawful activities in our country. We have had the experience of the POTA, the TADA. And, our experience shows that these laws were widely misused. The character and many of the provisions of these laws were draconian and anti-democratic. The essence of the POTA and the TADA is imbibed in this new Amendment Bill. I don't want to go into the details of it. But, I think, the Government has a hidden agenda. The Government wants to use this Amenement Bill to suppress the trade union movements, the democratic movements, and to also suppress the people who are struggling against the neo-economic policies of this Government. A new clause, pertaining to economic security, has been included. It covers financial, monetary and physical stability, security of means of production and distribution, food security, livelihood security, ecological and environmental security. It means if the traders in India struggle against the Wal-Martisation of the Indian retail trade, then, you can say that the means of production and distribution is being disturbed. If the employees of the Electricity Boards struggle against anti-employees' policies of the Government, you can say that the energy security is in danger. So, you can use this clause against the working people, the people who are struggling against the anti-people policies of the Government. So, there seems to be a hidden agenda. I think, they are trying to use this Amendment Bill to meet the needs of the neo-liberal economic policies of the Government.

There is also a mention about financial sources. There were reports that money, which came for the terrorist organizations, is being used in Indian Stock Market. There were such reports. Nobody denied it. But the Government did not take any action on that score. Now, you are inviting the FDI.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Mr. Achuthan, your time is over. Please conclude.

SHRI M.P. ACHUTHAN: No, no, Sir. How can it be? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): You have to ask a question. So, use the time.

SHRI M.P. ACHUTHAN: Sir, do justice to us. You have given seven to ten minutes to all of them.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please conclude. We have to complete the business within the time allocated. So, please conclude.

SHRI M.P. ACHUTHAN: Sir, foreign money is coming through automatic route, that is, from Mauritius route. And, the tragedy is that the Government has no mechanism to verify the end use of this foreign money. So, it is up to the Government; they have to monitor this. This law is being widely misused. As some of our colleagues rightly pointed out, there are thousands of people languishing in Indian jails. They have been branded as 'terrorists'. Majority of them are innocent. But there is a mindset in our country, there is a mindset of the officials, there is a mindset of the Police, there is a mindset of the media that a terrorist belongs to a particular community and particular religion. The ruling establishment, the Government is of that mindset.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Okay. Thank you. Your time is over. Shri Ram Vilas Paswan.

SHRI M.P. ACHUTHAN: Sir

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): No, your time is over. I gave you even more than that.

SHRI M.P. ACHUTHAN: Sir, I have to make one point about Kerala.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Please, be quick. Quickly come to the point.

SHRI M.P. ACHUTHAN: Sir, there is a specific case of Abdul Naseer Madani. He was in jail for more than nine years in Coimbatore. But after that, the court said, "He is innocent". Again, he was arrested in another case. For the last two years, he has been in the Bangalore jail. He has lost his eye sight. One of his legs has been amputated. The prosecution openly argued in the court that he cannot be given bail. They are denying him medical treatment. It is inhuman.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Okay. Thank you very much. Kindly cooperate. You have made your point.

SHRI M.P. ACHUTHAN: Therefore, the Government must ensure that this Bill is not misused. So, I oppose this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN): Now, Shri Ram Vilas Paswan. Mr. Paswan, kindly conclude in three minutes. We have to

accommodate all the hon. Members. We have to conclude this particular Bill quickly. Already, too much time has been taken.

श्री राम विलास पासवान: उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 2012' आया है, इसकी पृष्ठभूमि यह है कि यह पहले 1967 में आया था, 1967 के बाद 2008 में इसमें संशोधन हुआ और उसके बाद 2012 में फिर से इसमें संशोधन हो रहा है। इसके बीच में "टाडा" बना, "पोटा" बना, जो लैप्स कर गया।

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, जिस 'टाडा' का, जिस 'पोटा' का विरोध किया गया था, वह सारी की सारी क्लॉज़ इसमें जोड़ दी गयीं। केवल क्लॉज़ को ही नहीं जोड़ा गया, बल्कि उसमें आर्थिक मुद्दे को लाकर, आर्थिक अपराध को जोड़कर इसको और सख्त करने का काम किया गया है जो दो साल की सजा का प्रावधान था, उसको दो साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है और उससे भी ज्यादा आजीवन कारावास भी हो सकता है।

महोदय, माननीय सुशीलकुमार शिंदे साहब हम लोगों के साथी हैं, बहुत अनुभवी हैं। वे होम मिनिस्टर हैं, लेकिन इससे पहले वे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं। यह सब लोगों को मालूम है, खासकर जो लोग secularism में विश्वास करते हैं, उनको मालूम है कि इसका सारा का सारा प्रभाव एक कम्युनिटी के ऊपर पड़ने वाला है, और वह है, एक समाज के लोग, जिनको माइनॉरिटी मुस्लिम कहा जाता है। सर, मैंने बार-बार कहा है कि ऐक्ट अलग होता है, फैक्ट अलग होता है और टैक्ट अलग होता है। यह जो ऐक्ट है, जो कानून है, यह कहने के लिए सबका है, लेकिन इसका सीधा का सीधा प्रभाव माइनॉरिटी के लोगों पर पड़ने वाला है। अभी इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट आयी है, उसको यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि देश में मुसलमानों की आबादी 13.4 प्रतिशत है। जो कैदी हैं, जेल में जो मुस्लिम कैदी हैं, वे 21 प्रतिशत हैं और इसको लिखने वाला कोई माइनॉरिटीज़ का नहीं है, बल्कि इंडिया टुडे का रिपोर्टर है। पश्चिमी बंगाल की जेल में 45 परसेंट कैदी मुस्लिम हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Don't listen to anybody.

श्री रामविलास पासवान: यानी हर दूसरा कैदी मुसलमान है। महाराष्ट्र में हर तीसरा कैदी मुसलमान है, उत्तर प्रदेश में हर चौथा कैदी मुसलमान है। गुजरात में मुसलमानों की आबादी 10 परसेंट है, लेकिन जेल में मुसलमान कैदियों की संख्या 22.4 परसेंट है, मध्य प्रदेश में मुसलमानों की 6 परसेंट आबादी है, जेल में मुसलमान 13 परसेंट बंद हैं, दिल्ली में आबादी 12 परसेंट है और जेल में मुस्लिम कैदी 23 परसेंट बंद हैं। इसी तरह से अन्य राज्यों की स्थिति है। जहां तक अलीपुर सेंट्रल जेल का मामला है, वहां 1222 कैदी हैं, जिनमें 530

[श्री रामविलास पासवान]

कैदी मुसलमान हैं, गाजियाबाद की जेल में 2200 कैदी हैं, जिनमें से 720 कैदी मुसलमान हैं। ये सारे आंकड़े राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के मुताबिक हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह कोई पार्टी का मामला नहीं है, यह मामला आदमियत का है। मुझे याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी कश्मीर गए थे, तो कश्मीर में उनसे प्रेस वालों ने पूछा, उससे पहले कारगिल का युद्ध हुआ था और कारगिल के बाद भी इन्होंने लाहौर के लिए बस यात्रा की शुरुआत की थी, उनसे अखबार वालों ने पूछा था कि आप कश्मीर समस्या का हल कैसे करेंगे, संविधान के दायरे के अंदर करेंगे, उन्होंने बोला कि मैं संविधान के दायरे की बात नहीं करता हूं, हम इसे इंसानियत के दायरे में करने का काम करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अभी एक लड़का आमीन जेल से निकला है, यह जे.एन.यू. का लड़का है, यह 18 साल की उम्र में जेल गया और 14 साल जेल में रहा और 14 साल बाद उसको निर्दोष साबित किया, यह अभी कुछ दिन पहले हुआ है और हम उसकी शादी में सम्मिलित हुए थे। मैं आपको पुलिस फोर्स का मामला बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने बताया दिल्ली में मुस्लिम आबादी 12 परसेंट है और पुलिस फोर्स में दो प्रतिशत मुस्लिम हैं। आप उनके साथ अगर न्याय नहीं कीजिए, तो अन्याय करने का काम भी मत कीजिए। देश को आजादी मिली, फांसी के फंदे को चूम लिया खुदीराम बोस ने जो हिन्दू था, फांसी के फंदे को चूम लिया सरदार भगत सिंह ने जो सिख था, फांसी के फंदे को चूम लिया अशफ़ाकउल्ला खान ने जो मुसलमान था। अशफ़ाकउल्ला खान ने बिस्मिल की वह लाइन कही थी कि "सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजु-ए-कातिल में है", यह कहकर उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया था। ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री राम विलास पासवान: सर, अभी सदस्य सात-सात, आठ-आठ मिनट बोले हैं।

श्री उपसभापति: आपको पांच मिनट हो गए हैं।

श्री रामविलास पासवान: सर, मैं खत्म कर रहा हूं।

श्री उपसभापति: आप खत्म कीजिए।

श्री रामविलास पासवान: इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कश्मीर का मुद्दा है, आप कश्मीर में चले जाइये, वर्ष 2009 में हर पार्टी के लोग गए थे, बीजेपी के लोग भी गए थे, सीपीएम के लोग गए थे, सीपीआई के लोग गए थे, वर्ष 2009 में तीन महीने के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 118 बच्चों को गोली से उड़ा दिया गया। पार्लियामेंट में हमने प्रश्न पूछा, चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे, उन्होंने बतलाया कि इसमें एक कश्मीरी नहीं है, एक टेरेरिस्ट नहीं है, वह बच्चा था, वह घर से बाहर निकला, कर्फ्यू लगा हुआ था, उसे गोली मार दी,

जब उसका जनाजा निकला, तो फिर गोली मार दी, इस तरह से 118 बच्चे मारे गए और आज तक उनके खिलाफ में न जांच हुई, न कुछ हुआ। जहां कश्मीर में लोग फूल को देखते थे, तलवार का नाम नहीं जानते थे, आज कश्मीर में जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा घर के आगे संगीन को देखता है, पुलिस को देखता है। वहां से AFSPA को हटाने की मांग की गई थी। अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी का बयान आया था कि इस पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री रामविलास पासवान: सर, मैं खत्म कर रहा हूं। हम कहना चाहते हैं कि उसको खत्म कीजिए। जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, वह मर्चेंट टिम्बर के लिए बनाया गया था। उसको वहां पर लागू किया हुआ है। उसके आधार पर किसी को भी पकड़कर दो साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस एक्ट में जो आपने तीन-चार क्लाज जोड़े हैं, ये बहुत ही खतरनाक क्लाज हैं। पहले इसका इस्तेमाल संगठन के नाम पर होता था और अब इंडिविजुअल के नाम पर इसका इस्तेमाल होता है। इसमें economic offence नहीं था, इसमें economic offence जोड़ा गया। इसमें दो साल के बदले पांच साल और पांच साल के बदले आजीवन कारावास भी हो सकता है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आप DDT से मच्छर मार सकते हो, लेकिन जब तक डंडा लेकर सफाई नहीं करोगे, मच्छर पैदा होना बंद नहीं होगा। ...**(समय की घंटी)**... जब तक एक समाज विशेष के मन में शंका की भावना रहेगी तब तक ठीक नहीं रहेगा। ...**(समय की घंटी)**... पूरे देश में केवल मुस्लिम समाज के लोग ही क्यों शंकित हैं?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री रामविलास पासवान: इसलिए तो इन्होंने past को देखा है। मैं यहां कोई पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहता हूं। जब 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी थी, तब से यह आतंकवाद आगे बढ़ना शुरू हो गया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat.

श्री रामविलास पासवान: मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप इस बिल को वापस ले लीजिए और इसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए, यही मेरा आग्रह है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Ram Kripal Yadav. Please adhere to the time. Take only five minutes.

श्री राम कृपाल यादव: सर, ऐसा कैसे होगा?

श्री उपसभापति: सभी के लिए पांच मिनट हैं। आप भी पांच मिनट बोलिए।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं बहुत पीड़ा के साथ अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं। यह बिल निश्चित तौर पर एक अच्छे काम के लिए आया है। यह 1967 का बिल है। आप इसमें परिवर्तन करके एक नई जान देने का काम कर रहे हैं। इस बिल के आते ही देश के करोड़ों मॉइनॉरिटीज के लोगों में शंका और डर पैदा हो गया है। लोगों को यह अहसास हो रहा है कि यह बिल मेरे लिए परेशानी का सबब बनने के लिए आया है। जब भी इस तरह के बिल आए हैं, चाहे "पोटा" हो या कोई और हो, तो उससे सबसे अधिक प्रताड़ित अक़ल्लीयत के लोग, मॉइनॉरिटीज के लोग या मुसलमान लोग हुए हैं। आज पूरा देश और पूरा सदन चाहता है कि आतंक के खिलाफ कार्यवाही हो, लेकिन आतंकवाद के नाम पर निर्दोष लोगों को परेशानी में डालने का काम किया जा रहा है। सर, आप उन बच्चों के मां-बाप से पूछिए, जिनके बेकसूर बच्चे चौदह, पन्द्रह या बीस-बीस, बाइस-बाइस सालों से जेल में बंद हैं। आज भी वे लोग अपने बच्चों के इंतजार में हैं। जब मामला न्यायालय में जाता है तो न्यायालय यह कह देता है कि इनके ऊपर कोई आरोप प्रूव नहीं हुआ है। यह example है। मेरे पास अधिक समय नहीं है, नहीं तो मैं पढ़कर सुना देता। मेरे पास पांच, पांच महत्वपूर्ण example हैं, जिनको बम ब्लॉस्ट के केस में भेजा गया, दूसरे आतंकवादी केस में भेजा गया और वे छूट कर आ गए। मैं समझता हूं कि आतंकवाद की बुनियाद का वह काला दिन था, 6 दिसम्बर, 1992. उस दिन बाबरी मस्ज़िद की शहादत हुई थी। उस दिन केवल संविधान ही नहीं टूटा था, बल्कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची थी और लोगों का मन भी टूटा था। उसके बाद आतंक की बुनियाद डाली गई। जब इतने लोगों का विश्वास टूट गया तो उनको ऐसा नहीं लगा था कि उनके ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात करने का काम भी किया जाएगा। यह तब से कम नहीं हुआ है, बल्कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज यह निश्चित तौर पर चिंता का विषय बन गया है। मैं समझता हूं कि अगर आप इस कानून के तहत अंकुश लगाना चाहते हैं, तो जो डरे और सहमे हुए लोग हैं, उनको विश्वास में लेने का काम कीजिए। माननीय गृह मंत्री जी, आप एक अनुभवी राज नेता के रूप में, राष्ट्रनेता के रूप में हैं, आप जिम्मेवारियों को निर्वहन करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपको इस भावना से अवगत कराने का काम किया है, क्या आपने उनके विश्वास को जीतने का काम किया है? सर, आदरणीय तिवारी जी अपने बिहार प्रदेश की बात कर रहे थे, मैं भी वहीं से आता हूं। वहां पर SIT के लोगों ने लगभग 22 मुस्लिम नौजवानों को बगैर सरकार की इजाजत लिए, जेलों में बंद करने का काम किया। उन नौजवानों में कोई इंजीनियर है, कोई मास्टर है और कोई चपरासी है। ...**(व्यवधान)**... महोदय, आज वे लोग जेलों में बंद पड़े हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री थावर चन्द गहलोत (मध्य प्रदेश): क्या इनको यह ख्याल नहीं है ...**(व्यवधान)**... उस पहलू पर भी बोलें। ...**(व्यवधान)**...

श्री राम कृपाल यादव: जब ये बोल रहे थे तो ...**(व्यवधान)**...

सबके पहलू आप लोग हैं ...**(व्यवधान)**... क्या बात करते हैं? ...**(व्यवधान)**... देश में आतंकवाद बढ़ रहा है ...**(व्यवधान)**... उसका कौन जिम्मेदार है? ...**(व्यवधान)**... भारतीय जनता पार्टी ...**(व्यवधान)**... आप लोग हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री भगत सिंह कोश्यारी (उत्तराखंड): यह आप क्या कह रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री राम कृपाल यादव: उपसभापति जी ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: नाराज मत होइए ...**(व्यवधान)**... Don't be angry. ...*(Interruptions)*...

श्री राम कृपाल यादव: मैं नाराज नहीं हो रहा हूं ...**(व्यवधान)**... मैंने तो कुछ नहीं बोला ...**(व्यवधान)**... ये लोग ही बोल रहे थे ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is my duty to be angry, not yours. राम कृपाल जी, नाराज होने का काम मेरा है ...**(व्यवधान)**...

श्री राम कृपाल यादव: उपसभापति जी, मैं कहां नाराज़ हो रहा हूं? मैं तो सिर्फ उनको बता रहा हूं कि समय है चेतिये ...**(व्यवधान)**... लोगों को गले लगाइए ...**(व्यवधान)**... आप इस कदर से मुसलमानों को देश से अलग करके ...**(व्यवधान)**... देश में ...**(व्यवधान)**... ऐसी व्यवस्था फैला कर ...**(व्यवधान)**... देश की तरक्की नहीं कर लीजिएगा ...**(व्यवधान)**... उपसभापति जी, मैं बोल रहा था कि जो प्रस्तावित संशोधन विधेयक आया है, जिसमें आप इसको प्रभावशाली बनाने का काम करना चाहते हैं, इसके द्वारा मनी लांड्रिंग, नकली भारतीय नोट का प्रसार, गैर कानूनी वित्तीय गतिविधियों आदि समस्याओं पर अंकुश लगाना चाहते हैं, इन समस्याओं को देश से दूर करना चाहते हैं, आज जब आपके पास इतने बड़े कानून हैं, उनके आधार पर भी इन समस्याओं पर नियंत्रण की बहुत सम्भावनाएं हैं, आप इन पर अंकुश लगाने का काम कर सकते हैं, तब क्या वजह है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है? मैं समझता हूं कि अगर यह कानून आएगा तो देश के जो मुसलमान लोग हैं, जिनमें एक भय है, खौफ है, जिन लोगों को हम पर विश्वास नहीं हो रहा है, आप उन लोगों का विश्वास जीतिए, विचार कीजिए, इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजिए और पुनर्विचार करके, लोगों की राय लेकर इस कानून को कारगर ढंग से लागू करने का काम कीजिए। ...**(समय की घंटी)**... उपसभापति जी, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। यदि इस देश के 20 करोड़ मुसलमान अपने आपको असुरक्षित महसूस करेंगे, तो आप इस कानून के माध्यम से स्थिति पर जो अंकुश लगाना चाहते हैं ...**(समय की घंटी)**... तो देश में शांति नहीं रहेगी। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

श्री राम कृपाल यादव: क्या वजह है कि आज इस देश में बड़े पैमाने पर इन लोगों में असंतोष की भावना व्याप्त है? इस देश के हर मुसलमान ने देश की तरक्की के लिए, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी कुर्बानी देने का काम किया है, तब भी क्या आप हर मुसलमान को आतंकवादी की दृष्टि से देखने का काम करेंगे? ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

श्री राम कृपाल यादव: सर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है कि आप निश्चित तौर पर इस कानून पर पुनर्विचार कीजिए। इसमें जो कमियां और खामियां हैं, उनको दूर कीजिए, जिससे लोगों को यह विश्वास हो जाए कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आपका, टाइम हो गया है।

श्री राम कृपाल यादव: क्योंकि आम तौर पर इस तरह के कानून का दुरुपयोग होता रहा है ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

श्री राम कृपाल यादव: इसलिए मैं समझता हूं कि इस तरह से निश्चित तौर पर न अमन और चैन हासिल हो सकता है और न कानून की ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: श्री रतनपुरी जी। ...**(व्यवधान)**...

श्री राम कृपाल यादव: उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर विचार करें। मैं इतना कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

SHRI G.N. RATANPURI (Jammu and Kashmir): Sir, there can be no two opinions about necessity of peace. Prosperity cannot be achieved without peace and we cannot afford to overlook the importance of peaceful and stable atmosphere in the country, particularly, in those parts of the country that have been the playgrounds of the enemies of the nation and anti-national elements. But while we make more stringent laws, we have to monitor whether the results are commensurate with the strictness that we enforce. If the safety of citizens and defence of the country necessitates curtailment of certain personal liberties and inconveniences to a broad section of society, if it opens the largest democracy of world to criticism by human rights watch groups the world over, if we take the risk of some negative publicity, the results that we expect to get from such

amendments as we are passing today must be positive. We have been empowering the law enforcing agencies with every passing day but we are not making them accountable proportionately. With power comes responsibility and if there is not adequate accountability power corrupts and absolute power corrupts absolutely.

We in Jammu and Kashmir have many instances to quote when such laws are used to settle personal scores or to score political points. Innocent people have been killed in encounters on the orders of very senior officials and when enquiries establish their innocence, the senior officers were let off because they plead that they were fed wrong information by their sources and informers.

I am personally witness to an episode where a very senior police officer threatened a legislator because he had dared to question the police officer's behaviour during elections. Pulling out the drawer of his table, he told the legislator that his *Janampatri* was there, यहां तुम्हारी जन्मपत्री है, मैं चाहूं, तो शाम को तुम जेल में होगे, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। आइन्दा ऐसी गलती की, मेरे खिलाफ शिकायत की, तो you will be in jail. This very legislator was put behind the bars more than a year after this episode. Although he was a suspect in a murder case many months before that episode, the police officer chose to keep the evidence against him in the drawer for many months, obviously, to blackmail him for personal reasons.

I am witness to another episode where a District S.P. misbehaved with a Member of Parliament and then sent feelers to him that his relatives will be implicated in false cases if he dared to move a Privilege Motion against him. When this threat did not work, he threatened to plant RDX at MP's residence and then followed this threat by an advice that police officers can make or mar political careers in Jammu and Kashmir. Why not digest the insults and extend a hand of friendship towards the SP?

Sir, you have to live in Kashmir to feel the reality of Kashmir. Unscrupulous police and intelligence officers and their informers have been the most dreaded face of the establishment in that part of the country for the last 65 years. Government employees would choose to remain within the office premises under the eye of reliable witnesses on a holiday also because they apprehend that a fellow employee whom they had annoyed may have been an informer and could implicate him in a false case.

[Shri G.N. Ratanpuri]

Sir, the law-enforcing agencies have done a commendable job in Jammu and Kashmir and other parts of the country, but we cannot afford to ignore blacksheep among them. The rules and regulations meant to safeguard individual liberties and national interests also give access to all sorts of information, CCTV footage, private telephone conversations and personal affairs of citizens. We have to ensure that unscrupulous elements do not use all such information for their personal benefits or blackmail.

While we make more strict laws, we have to ensure safeguards against their misuse. Police reforms are overdue. A message must go from this august House that there will be zero tolerance against misuse of powers and we have also to ensure that those who are at the receiving end of such misuse of powers are adequately compensated.

A doctor from Andhra was wrongly implicated by the Australian Police. Within weeks, his innocence was established. An official apology was tendered to him. He was compensated in cash and rehabilitated with honour.

We have countless such instances in our country. Innocent people have been killed in fake encounters, they have spent years in jails, business and properties were destroyed and we have failed to even say one word 'sorry', not to speak of compensation and rehabilitation. This is not what democracy is meant to be, and this is not what Mahatma Gandhi wanted us to be.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri A.V. Swamy. Mr. Swamy, take only two or three minutes. You are a good honourable Member and my good friend. Take two or three minutes.

SHRI A.V. SWAMY (Odisha): Sir, I was getting worried. I wanted to talk about something but your direction to finish within two minutes and the mood of the Members made me a bit nervous.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Home Minister has to go to the other House for *sine die*. You are the last speaker.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): Sir, the MoS will reply, and if need be, I will come as soon as possible.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, the MoS can reply. It's up to you, no problem. There is *sine die* in Lok Sabha. He is the floor leader there. So, he has to go. The MoS will reply ably. The young Minister should reply. That's good. Now, Mr. Swamy, please continue.

SHRI A.V. SWAMY: Sir, with all the laws that are now being enacted, an apprehension has already been aired in the House, and a very serious apprehension also, that a particular community is being targeted in the amendments that are being brought.

Even without the amendments, whatever was happening in the name of security of the State, and also containing the naxalite movement, has not been very happy. The intended effects of the Prevention of Unlawful Activities Act have been hazardous. I am from that part of India, where all the three States converge, and, it is now the capital of Naxalism or Maoism. How did it come up? I am not speaking from any books or lectures given, to downpour them here. I am an eye-witness to the existing law already in trampling the human rights of poor people, and, to add to that, you want to bring about some more additions and segregate a particular community, which is dangerous for the country.

Sir, consciously or unconsciously, we are moving towards a military State. It is not meant for prevention of unlawful activities; it is arming the State increasingly so that instead of law, they use the guns against the people. That is what is happening in the so-called naxalite areas in Koraput. You find somewhere some atrocities have taken place or some contractors have been manhandled because they have been exploiting the poor labourers or something like that. Immediately, they are stamped as naxalite moving into those areas and what is the net result of that? Police goes there, finds out some of the persons and brands them as naxalite. I know some of them because that is the area where I have spent 50 years of life; they are innocent people. The fellow is arrested, and, when some of them are kicked and killed, and, people go to oppose that, they are branded as sympathizers of naxalites, beaten up and even killed in certain cases using your Unlawful Activities (Prevention) Act.

Now, tribal areas are peaceful, Sir. Now, with militarization happening, more and more of these preventive acts coming in, you find more military people than tribal people inside the tribal area.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI A.V. SWAMY: Sir, whether it is five minutes or two minutes, give me a minute to share one aspect. When there was military operation in Narayanpatna area of Koraput District, they were asking for return of their lands which had been usurped by the non-tribal. What happened thereafter? Immediately, they were branded as naxalites.

2.00 P.M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI A.V. SWAMY: Just a minute. If I am disturbed, I won't be able to speak. Should I take out a piece of paper, and, whether somebody is shouting or not, go on speaking?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. Five minutes are over. ...*(Interruptions)*...

SHRI A.V. SWAMY: Without interruption or without being told to conclude, let me talk about how the human rights are being violated because of this Act. Firstly, some of the people who are going one day in advance...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI A.V. SWAMY: Please, Sir. If you don't understand, if you don't want to hear, what else can I say? You read newspapers and quote that in the Parliament. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI A.V. SWAMY: A voluntary agency, of which, I was also a part, took out a procession on the first day to oppose, to actually resist the Unlawful. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI A.V. SWAMY: No, Sir. What I am trying to say is what happened to the voluntary agency's procession. We wanted to protest. After three days, another group ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time is already over.

SHRI A.V. SWAMY: They were branded as 'naxalites'. ...*(Interruptions)*... No, Sir, unless I ..(Interruptions)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please ...*(Interruptions)*... Please cooperate. ...*(Interruptions)*...

SHRI A.V. SWAMY: I will cooperate but let me be intelligible to them, otherwise they will think ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI A.V. SWAMY: What I am trying to say is, suppose there is a protest march by some people against an activity by the State which is unlawful or unjust, they are branded ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... It is over now. ...*(Interruptions)*... I have called the Minister. Please sit down.

SHRI A.V. SWAMY: Okay, Sir. I must think twice before ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, before the hon. Minister's reply, if you could please give me just half-a-minute to ask two-three points very quickly.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do you want to speak after the reply or before the reply?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: No, no, Sir, before the reply. He can answer them in his reply itself.

Any religion-based discrimination is surely to be strongly opposed, that all of us are agreed. But, hon. Minister, we would like to have an assurance from you that terrorism and the fight against terrorism is religion-neutral, ideology-neutral and community-neutral.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, that is obvious.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: The second point is an important point. If any police does excess, a strong action must be taken. But we need also to recognize — and we need an assurance from you — that security forces die so that we remain safe. Therefore, nothing should be done in this Parliament that the morale of security and police forces is sought to be compromised.

Thirdly, hon. Minister, it is very important, if there is a strong evidence against a terrorist, he has to be proceeded. If there is a comparatively less strong evidence against a terrorist, it doesn't mean that he cannot be proceeded against. If there is no evidence, no action would be taken. This clarification we would like to have from you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Minister, please.

श्री आर.पी.एन. सिंह: सर, कल से इस बिल पर चर्चा हो रही है। तमाम सदस्यों ने इस पर अपनी राय रखी है। लोगों ने इस पर भावनात्मक तरीके से भी अपनी बातें कही हैं। मैं पहले ही बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इसमें टेररिज्म की बात है और इसमें काउंटरफीट मनी की बात है। लोगों ने धर्म की बात की है और जातियों की बात की है, लेकिन इस बिल में कहीं जाति की बात नहीं हो रही है या किसी धर्म की बात नहीं हो रही है। मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह टेररिज्म के खिलाफ है और टेररिस्ट्स के खिलाफ है।

मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल पर चर्चा के दौरान हमारे एक माननीय सदस्य अदीब साहब ने कई बातें कहीं और बहुत भावनात्मक बातें कहीं। उन सवालों का जवाब उन्होंने मुझसे मांगा था। उनका जवाब भी मैंने दिया है। उन्होंने आधे घंटे की चर्चा जिन मुद्दों पर उठाई थी, उन पर भी मैंने जवाब दिया है। मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह बिल, जैसा कि रवि शंकर प्रसाद जी ने कहा, बिल्कुल भी किसी धर्म की बात नहीं करता। सब लोगों ने इस बिल पर चर्चा की, लेकिन किसी ने भी किसी क्लॉज़ के बारे में ऐसा नहीं कहा कि वह किसी जाति के खिलाफ हो या किसी धर्म के खिलाफ हो। इन बातों को यह बिल नहीं छूता है। यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से टेररिस्ट्स की बात करता है, आतंकवाद की बात करता है और इसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात है। मैं कहता हूं कि आज आतंकवाद सिर्फ बंदूकों, गोलियों से और बम से नहीं होता है, परन्तु आज आतंकवाद पैसों की वजह से इकॉनमी को डैमेज करने के लिए होता है, इसलिए आज यह बिल लाना आवश्यक हुआ। इससे पहले हमारे वित्त मंत्री जी ने मनी लांडरिंग बिल लाने की बात की थी, उसी तरह उसी के साथ इसको जोड़ना बहुत-बहुत आवश्यक हो गया था।

मैं इसमें एक चीज़ आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि इसके main objectives क्या हैं। Statement of objectives में इस बिल के बारे में क्या है, उसे अंग्रेजी में पढ़ कर बताना चाहता हूं। हमारे साबिर अली साहब ने, नक़वी साहब ने और हमारी तरफ से हुसैन साहब ने भी अपनी बातें कहीं। अंत में, सब को बताना चाहता हूं, आप सब की भावनाओं को देखते हुए एक बार फिर बड़े स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल सिर्फ काउंटरफीट मनी की बात करता है, टेररिस्ट्स के खिलाफ लड़ाई की बात करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पूरा हाउस टेररिज्म के खिलाफ एक मत होकर इस पर consensus voting अवश्य करेगा।

सर, इसके objectives हैं – "The Financial Action Task Force on inter-Governmental organisations set up to devise policies to combat money-laundering and terror financing admitted India as the 34th Member. On the basis of commitment made by India at the time of admission to the said Financial Action Task Force, various legislative and other legally-binding measures were required to be taken on

a medium term basis, for example, by the 31st March of 2012. These recommendations were examined and it was proposed to amend the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 to make it more effective in prevention of unlawful activities and dealing with terrorist activities".

अगर इस objective को आपने देखा है, तो इसमें हम terrorism के खिलाफ बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति या किसी धर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहां तमाम मुद्दे उठे। UAPA में जिन चीजों के बारे में तमाम सदस्यों ने बात की, उन पर बिल्कुल चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं उन पर जाना चाहता हूं, जो कुछ माननीय सदस्यों ने points उठाए थे। माननीय सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने एक प्रश्न उठाया था। His question was how would these provisions capture an offence by a female. इस पर मैं कहना चाहता हूं, words importing the masculine gender shall be taken to include females. Section 13 of General Clauses Act makes it clear as far as that position is concerned. इन्होंने foreign country की बात की थी, इन्होंने use "in a foreign country" की clarification मांगी थी, जो बिल में है। The words "in a foreign country" are part of the Unlawful Activities (Prevention) Act since 2008 and not part of current amendments. उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। The hon. Member also wanted to know that if a terrorist is caught with Rs. five lakh, अगर पांच लाख रुपए के साथ पकड़ा जाता है, तो उसकी पांच लाख की संपत्ति क्यों जब्त होती है और उनकी सारी संपत्ति क्यों नहीं जब्त हो जाती है? इस clause के अंतर्गत हमने यह कहा था कि सेक्शन 24(3) के अंतर्गत attaching or forfeiting the property beyond the property equivalent to or the value of "proceeds of terrorism" would not be just and fair. अगर इसके सेक्शन 33 में देखा जाए, तो उसके अंतर्गत कोर्ट अगर चाहे, तो उसकी सारी सम्पत्ति जब्त कर सकती है। इसमें कोई बात नहीं है, अगर टेररिस्ट का पांच लाख का सामान ही पकड़ा जाए, तो उसकी सारी सम्पत्ति सेक्शन 33 के अंतर्गत जब्त की जा सकती है।

मुख्तार अब्बास नक़वी साहब ने कहा कि पाकिस्तान FATA का सदस्य क्यों नहीं है? इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, इसका जवाब तो वही मुल्क दे पाएगा, परंतु उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, the FATF is an exclusive international inter-governmental organisation. It sets international standards for anti-money laundering and combating financing of terrorism. यह आप समझ सकते होंगे कि वह क्यों नहीं करते होंगे। The acquisition of FATF membership is based on stringent and detailed mutual evaluation of the country. Only those countries that have laws in compliance with the FATF recommendations and financial regulators of global standards are made members of the FATF. It is for these reasons that only six Asian countries are members of the FATF. The FATF standards are, however, to be followed by all countries of

[श्री आर. पी. एन. सिंह]

the world. In fact, Pakistan has been mentioned in the negative list of nations by the FATF and the FATF has asked Pakistan to amend its Anti-terrorism Act to bring it in line with the FATF recommendations.

News-items जो "Times of India" में आई थीं, उनके बारे में आपने जिक्र किया था, as per available information. एक अल्ताफ खान थे, जो पोस्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज में हैं। The person was earlier engaged in militant activity as Deputy Chief of Al-Jehad. He was arrested and detained for two years under the Public Safety Act. Report on this account as part of police verification has been sent to the High Court.

श्री राजीव साहब और शिवानन्द तिवारी साहब ने कहा कि it is misused or can be misused to harass innocent persons. मैं समझता हूं तमाम लोगों ने इसकी चर्चा की कि इस कानून का आम आदमी, जो कि बिल्कुल निर्दोष है, के खिलाफ बहुत सख्ती से इस्तेमाल हो सकता है। स्वामी जी यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने भी इस बात की चर्चा की थी। इसमें बहुत से ऐसे clauses हैं, जिनसे आम आदमी को इसमें नहीं फंसने दिया जाएगा। इस पर बड़ी भावनात्मक चर्चाएं हुईं कि अगर यह कानून होगा, तो कोई सड़क पर चल रहा होगा, तो पुलिस जाकर उसको पकड़ लेगी। इस संबंध में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो इस तरह की बातें कीं, उस तरह का कोई clause इस कानून में नहीं है। इसमें बहुत specific clauses हैं और इसमें checks and balances भी हैं तथा इसके अंतर्गत पुलिस को इस तरह की कोई पॉवर नहीं दी गई कि जिस तरह की आप लोगों ने चर्चा की।

The following are the safeguards against misuse of the Unlawful Activities (Prevention) Act:

As per section 45(1), no court shall take cognisance of any offence without the previous sanction of the Central Government or the State Government.

Further, as per section 45(2), sanction for prosecution under sub-section (1) shall be given within such time as may be prescribed only after considering the report of such authority appointed by the Central Government or, as the case may be, the State Government which shall make an independent review of the evidence gathered in the course of investigation and make a recommendation within such time as may be prescribed to the Central Government or, as the case may be, the State Government.

तो आपको मालूम है कि इस कानून के अन्तर्गत या तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इसको रिव्यू करना पड़ेगा या स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा।

The proposed Sections 22A(1) and 22B(1) which provide for corporate liability give adequate opportunity to an individual to establish his innocence. आपने देखा, जैसे हमने आपसे पहले कहा था कि इसमें ऐसा कोई कानून नहीं है जो आम आदमी को या किसी विशेष धर्म के लोगों को तकलीफ देने की बात है, इसमें आतंकवादियों को पकड़ने की बात है, इसमें सेफगार्ड्स हैं। तमाम सदस्यों ने इस बात को भी उठाया कि इसके बारे में कोई सेफगार्ड्स नहीं हैं तथा आम आदमियों को पकड़ा जाएगा। पकड़ने के बाद कोई मज़हब के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी।

श्री रामविलास पासवान: महोदय,

श्री सुशील कुमार शिंदे: बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत करिए।

श्री आर. पी. एन. सिंह : मैं समझता हूं कि तमाम जो प्वाइंट्स यहां उठे, तमाम लोगों ने जो यहां अपनी बातें कहीं, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि उन सब चीजों को देखते हुए और जो स्पेसिफिक प्वाइंट्स थे, उन पर जवाब देने की कोशिश की है। बदनौर साहब ने एक अमेंडमेंट की बात की थी, that at page 2, after the words "a firm", the words "non-Governmental organisations" be inserted. इसका जवाब मैं देना चाहता हूं, different aspects including the definition of person have been examined by the Standing Committee in detail. The NGOs are, as such, covered under rule 4, proposed definition of persons, which mentions, "an organisation or an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not...". These definitions broadly cover all organisations including the NGOs. Therefore, the proposed amendment is not required.

श्री रामविलास पासवान: सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह मेरा नहीं है, मैंने इंडिया टुडे का दिया था। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the Minister complete the reply. ...*(Interruptions)*... Let him finish the reply. ...*(Interruptions)*... Then, I will allow you to seek queries. ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*... The hon. Member is reading from some magazine or newspaper. ...*(Interruptions)*...

श्री रामविलास पासवान: मैंने कहा था कि मैं इंडिया टुडे का रिफ्रेंस दे रहा हूं। "इंडिया टुडे" के मुताबिक गुजरात में "पोटा" के अंतर्गत 280 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 279 लोग मुसलमान थे। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the Minister finish his reply. ...*(Interruptions)*... Let him finish the reply. ...*(Interruptions)*...

श्री रामविलास पासवान: जिसमें एक को छोड़ करके सारे मुसलमान थे। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can put a question. ...*(Interruptions)*...

श्री रामविलास पासवान: यह गलत है या सही है? ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Since the Minister has yielded, you put a question. ...*(Interruptions)*...

श्री रामविलास पासवान: आपने यह कहा था कि "पोटा" का दुरुपयोग नहीं होता है। मेरा कहना है कि "पोटा" का दुरुपयोग हो रहा है। गुजरात में 280 में से 279 मुसलमान पकड़े गए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: रामविलास जी, बैठिए। You cannot make a speech. ...*(Interruptions)*... Let the Minister finish his reply. ...*(Interruptions)*...

श्री आर.पी.एन. सिंह: उपसभापति महोदय, मैंने कभी इस बिल का मिसयूज होने की बात नहीं कही। मैं UAPA के बारे में चर्चा कर रहा हूं, इस बिल के अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं और आपको मैंने बताया कि क्यों इस बिल को लाया जा रहा है और क्या-क्या सेफगार्ड्स इसमें हैं। अगर यह बिल आएगा, तो क्यों इसको लाया जा रहा है, सरकार इसमें क्यों परिवर्तन कर रही है। इसके लिए जो मेम्बर्स ने कहा, इसमें बहुत ऐसी चीजें होंगी, उसके सेफगार्ड्स भी हमने बताए। एक सुझाव बदनौर साहब का आया था, जैसे कि Euro currency में फेक करंसी नहीं होती है। मैं समझता हूं कि जो उन्होंने सुझाव दिया है, उस पर हम विचार करेंगे। उनका इतना अच्छा सुझाव है, अगर हो सका तो इसको अवश्य देखेंगे। मैं समझता हूं कि यह हाऊस टेररिज्म के खिलाफ एक मत होकर अपना प्रस्ताव पास करेगा।

श्री रामविलास पासवान: इसका दुरुपयोग होगा, हम लोग वायकॉट करते हैं।

(At this stage some hon. Members left the Chamber)

श्री प्रेम चन्द गुप्ता (बिहार): हम इसके भागीदार नहीं हो सकते। यह जो अमेंडमेंट लाई जा रही है वह बहुत गलत है। गवर्नमेंट माइनॉरिटी के खिलाफ है। हमारी पार्टी इसकी भागीदार नहीं हो सकती। इसलिए हम वायकॉट करते हैं।

श्री राम कृपाल यादव: हम इसमें भागीदार नहीं हो सकते। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं।

(At this stage some hon. Members left the Chamber)

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, you have permitted me. ...*(Interruptions)*... Sir, I just want to ask a question to the Minister. ...*(Interruptions)*... When we were supporting UPA-1, together, we had repealed POTA because of the draconian measures which can be misused. ...*(Interruptions)*... Now, you have brought back three of the same issues that we together repealed. ...*(Interruptions)*...

Firstly, you have increased the period from 2 to 5 years. Secondly, you have reversed the logic of jurisprudence, the essence that unless you are proven guilty, you are innocent. Now, unless you are proven innocent, you are guilty. Thirdly, in this Bill, you have brought back those provisions which we have together discarded and removed them. Why did you not bring the POTA which all of us opposed? Now, the same draconian measures have been brought in this Bill.

SHRI R.P.N. SINGH: I would like to clarify to the hon. Member that this has nothing to do with the other law. This is specifically what we are talking about, it is counterfeit currency and how it is being misused. The counterfeit currency is weakening our economy. As I said in my opening remarks, which the hon. Member has missed, terrorism today is not only about guns, weapons and bombs, but it is also an economic attack on any Government. I think that is what is happening to our country. We have several cases which we have brought about. ...*(Interruptions)*...

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार): महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस कानून में कहीं किसी मज़हब वाले आदमी का नाम है, लेकिन आप बताइए कि क्या "पोटा" व "मकोका" में भी किसी मज़हब का नाम नहीं था। उसमें भी terrorism का भी सवाल उठाया गया था। इस तरह से अधिकांश सदस्यों ने यह बताया कि वर्षों तक जेलों ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tiwariji, you have already spoken. You can put only questions. No time for speech. ...*(Interruptions)*... Now, Mr. Raja.

श्री शिवानन्द तिवारी: यह एक community के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No time for speech. You have to put question.

श्री शिवानन्द तिवारी: बगैर इस community को confidence में लिए ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is not going on record.

श्री शिवानन्द तिवारी: *

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, considering the strong views expressed during the debate, I am asking the Government even at the last minute, will the Government think of deferring the Bill for wider consultations, for wider discussion before getting it passed in the House in a hurry? It is a serious Bill. ...*(Interruptions)*...

SHRI R.P.N. SINGH: Let me clarify. ...*(Interruptions)*... On the recommendations of the Standing Committee ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Yechury has spoken. You take your seat.

The question is:

That the Bill further to amend the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. We shall now take up Clause 2. There are two amendments. Number one by Shri V.P. Singh Badnore. Would you like to move?

SHRI V.P. SINGH BADNORE: Sir, let me first explain why I am moving.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you moving it?

SHRI V.P. SINGH BADNORE: Yes. Before that let me explain what it is. There are various types of NGOs; and I feel all the NGOs are not covered ...*(Interruptions)*... Let me finish. An NGO can either be a trust or society or a non profit company or an organisation registered under Section 25 of the Companies Act; and the Income Tax Act; and there are NGOs which are multi-national NGOs; and international NGOs which are not covered under this Bill. If funding can be ...*(Interruptions)*... It is basically funding. All the funding will come from those international NGOs which are not covered under this. That is why...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you moving or withdrawing?

SHRI V.P. SINGH BADNORE: Yes, I am moving.

---

*Not recorded.

Clause 2 - Amendment of section 2

SHRI V.P. SINGH BADNORE: I move:

That at page 2, line 2, *after* the words "a firm", the words "or/and non-Governmental organisation" be *inserted.*

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): While giving the reply, the hon. Minister stated that 'association' very broadly defines that all types of associations should be included, as per the definition. Then it is clearly reflected that trade unions come under the purview of this clause. So, I move this amendment and press for a division on this.

SHRI R.P.N. SINGH: Sir, I will explain it to him. As I explained it to the hon. Member earlier, this aspect, including the definition of 'person' has been examined by the Standing Committee in detail. NGOs as such are covered under Clause 2 (iv) of the proposed definition of 'person' which mentions, "an organization or an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not". This definition broadly covers all such ...*(Interruptions)*...

SHRI V. P. SINGH BADNORE: Sir, those ...*(Interruptions)*...

SHRI R.P.N. SINGH: Sir, the answer to Shri Rajeeve is only those associations that are involved in terrorism or terrorists will be covered under this Bill. Only the individuals will be covered under it. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Just a minute. Shri V.P. Singh Badnore, are you withdrawing your amendment?

SHRI V.P. SINGH BADNORE: Yes, Sir.

Amendment (No. 1) was, by leave, withdrawn.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, I am moving the amendment. As per clause 2 (i) 'economic security' includes food security and other securities. Then trade unions can be booked under this Bill. So I am moving my amendment. I move:

(iii) That at page 2, line 3, after the *words* "association of persons", the words "except trade unions" be *inserted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you pressing the amendment?

SHRI P. RAJEEVE: Yes, Sir, I am pressing the amendment and I want division also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why?

SHRI P. RAJEEVE: The history should know who stands with human rights and who stands with democratic principles. We are strongly against terrorism but all legislations should be in accordance with the constitutional provisions.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the hon. Minister explain it properly. Let the Home Minister explain it to allay his apprehensions.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, I am on a point of order. After taking the voice vote, is there a provision for reply?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I did not say division. Until I say division, it is fine. If I say division, then it is not okay.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Sir, no union or association or any group of people or NGOs will be taken under this law. An individual, if he is concerned and involved in terrorism and sends money then only it will be taken into account; otherwise not. ...*(Interruptions)*... No trade union. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tapan Kumar Sen, you have no role here. Mr. Tapan Sen, you have no role here. ...*(Interruptions)*...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Tapan Sen, what you are saying is not going on record. Mr. Rajeeve, are you pressing your amendment.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, I am pressing my amendment.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I put the amendment moved by Shri P. Rajeeve to vote. The question is:

2. That at page 2, line 3, after the *words* "association of persons", the words "except trade unions" be *inserted.*

The House divided.

---

*Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN:

Ayes: 28

Noes: 81

Ayes - 28

Achuthan, Shri M.P.

Adeeb, Shri Mohemmed

Ali, Shri Sabir

Ansari, Shri Ali Anwar

Baidya, Shrimati Jharna Das

Balgopal, Shri K.N.

Behera, Shri Shashi Bhushan

Chakraborty, Shri Shyamal

Chatterjee, Shri Prasanta

Malihabadi, Shri Ahmad Saeed

Mangla Kisan, Shri

Mohpatra, Shri Rabinarayan

Narayanan, Shri C.P.

Parida, Shri Baishnab

Pradhan, Shrimati Renubala

Raja, Shri D.

Rajeeve, Shri P.

Ramesh, Shri C.M.

Rangarajan, Shri T.K.

Roy, Shri Tarini Kanta

Seema, Dr. T.N.

Sen, Shri Tapan Kumar

Singh, Shri Bashistha Narain

Singh, Shri N.K.

Singh, Shri Ramachandra Prasad

Swamy, Shri A.V.

Tiwari, Shri Shivanand

Yechury, Shri Sitaram

Noes - 81

Abraham, Shri Joy

Anand Sharma, Shri

Antony, Shri A.K.

Ashk Ali Tak, Shri

Ashwani Kumar, Shri

Badnore, Shri V.P. Singh

Balaganga, Shri N.

Batra, Shri Shadi Lal

Bernard, Shri A.W. Rabi

Bhattacharya, Shri P.

Bhunder, Shri Balwinder Singh

Bora, Shri Pankaj

Budania, Shri Narendra

Chaturvedi, Shri Satyavrat

Chiranjeevi, Dr. K.

Chowdhury, Shrimati Renuka

Daimary, Shri Biswajit

Dalwai, Shri Husain

Darda, Shri Vijay Jawaharlal

Dua, Shri H.K.

Dwivedi, Shri Janardan

Fernandes, Shri Oscar

Gehlot, Shri Thaawar Chand

Gaandesikan, Shri B.S.

Goyal, Shri Piyush

Hashmi, Shri Parvez

Heptulla, Dr. Najma A.

Jain, Shri Iswarlal Shankarlal

Jaitley, Shri Arun

Jha, Shri Prabhat

Jinnah, Shri A.A.

Jois, Shri M. Rama

Kalita, Shri Bhubaneswar

Katiyar, Shri Vinay

Keishing, Shri Rishang

Khan, Shri Mohd. Ali

Khanna, Shri Avinash Rai

Khuntia, Shri Rama Chandra

Kidwai, Shrimati Mohsina

Koshyari, Shri Bhagat Singh

Kulaste, Shri Faggan Singh

Kushwaha, Shri Upendra

Mahra, Shri Mahendra Singh

Maitreyan, Dr. V.

Manjunatha, Shri Aayanur

Mungekar, Dr. Bhalchandra

Nandi Yellaiah, Shri

Naqvi, Shri Mukhtar

Natchiappan, Dr. E.M. Sudarsana

Pande, Shri Avinash

Patil, Shri Basawaraj

Prasad, Shri Ravi Shankar

Ram Prakash, Dr.

Ramalingam, Dr. K.P.

Rangasayee Ramakrishna, Shri

Rao, Shri V. Hanumantha

Rapolu, Shri Ananda Bhaskar

Rashtrapal, Shri Praveen

Ravi, Shri Vayalar

Reddy, Shri Palvai Govardhan

Sadho, Dr. Vijaylaxmi

Sahu, Shri Dhiraj Prasad

Seelam, Shri Jesudasu

Selvaganapthi, Shri T.M.

Sharma, Shri Raghunandan

Sharma, Shri Satish

Shukla, Shri Rajeev

Shri, Shri Amar

Singh, Shri Birender

Singh, Shri Ishwar

Singh, Shri Jai Prakash Narayan

Singh, Shrimati Maya

Singhvi, Dr. Abhishek Manu

Soni, Shrimati Ambika

Soz., Prof. Saif-ud-Din

Tariq Anwar, Shri

Thakur, Dr. Prabha

Thangavelu, Shri S.

Vasan, Shri G.K.

Vora, Shri Motilal

The motion was negatived.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, we only want to say, while we are completely with anybody who is in the Government and in the interest of the country against terrorism, we do not want to allow the misuse of this against innocent people. That is the point behind moving this amendment. ...*(Interruptions)*... Since Government has not accepted this, we are registering our protest and walking out. ...*(Interruptions)*...

श्री शिवानन्द तिवारी: सर, इस कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम सदन से walk-out करते हैं। ...*(Interruptions)*...

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

Clause 2 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we shall take up clause 3. There is one amendment by Shri P. Rajeeve. He is not present.

Clause 3 was added to the Bill.

Clauses 4 and 5 were added to be Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we shall take up clause 6. There is one Amendment (No. 4) by Shri Prakash Javadekar. He is not present.

Clause 6 was added to the Bill.

Clauses 7 to 14 were added to be Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

SHRI R.P.N. SINGH: Sir, I move: That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEUTY CHAIRMAN: The house is adjourned for lunch for half-an-hour. We will re-assemble after half-an-hour.

The House then adjourned for lunch at thirty-four minutes past two of the clock.

The House reassembled, after lunch, at five minutes past three of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

SPECIAL MENTIONS*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall not take up Special Mentions. I can allow the Special Mentions to be laid.

Demand for early construction of the Ambikapur-Barwadi railway line

SHRI AVINASH PANDE (Maharashtra) : Sir, I would like to bring to your attention to the seven decade old project of construction of the Ambikapur-Barwadi railway line.

The line's relevance was first assessed by the British in 1936 and the construction was started but it was left midway due to the onset of the Second World War and India's Independence. Surveys were held during 1935-36, 1960-61, 1971-72, 1978-79, and in 2001. But the railway line has not materialized yet.

---

*Laid on the Table.